ई सी जी सी लिमिटेड

की

बहिर्नियमावली

*I. कंपनी का नाम ईसीजीसी लिमीटेड है।

II. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुंबई मे स्थित होगा।

III. जिन उददे्शो के लिए कंपनी की स्थापना की गई है वे निम्नलिखित है।

(1) भारत के भीतर और अन्य देशों के साथ उसके व्यापार की प्रोत्साहन देना, उसे सुविधाजनक बनाना और विकसित करनाः

*(2) भारत के निर्यातकों एव व्यापारीयों तथा भारतीय निर्यात/व्यापार कंपनियॉ (मूल कंपनी) के स्वामी नियंत्रण वाली शाखाओं, सहायक कंपनियों अथवा संयुक्त उदयमों जो कि भारत के बाहर पंजीकृत/स्थापित है, उन सौदो से संबंधित जिनमे माल का निर्यात निर्माण, अभिकिया, बिकि या वितरण, सेवाए देना या अन्य मामला जो कंपनी के उददे्शो मे सहायक हो, शामिल है के संबंध मे देय किसी राशी की वसूली मे विफलत कारण हुई किसी हानि के लिए बीमा रक्षा प्रदान करनाः

(3) भारत से निर्यात किए गये माल या प्रदान की गई सेवाओ के संबंध मे विदेश मे रहनेवाले या वहा के लोगों के लाभ के लिए उन्हे या उनके लिए गारंटी देनाः

(4) निर्यातो के वित्तपोषण के लिए सुविधाए प्रदान करनाः

(5) ऐसा अनुपूरक वित्त प्रदान करना जो निर्यातों के संवर्धन और विकास के लिए आवश्यक होः

(6) निर्यात व्यापार का संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए माल की दृष्टिबंधक, या गिरवी रखकर या संपत्ती के हक की जमानत पर ऋण देनाः

(7) भारतीय माल के खरीद हेतू अदायगी की बढाई गई अवधियो के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनाः

(8) भारत व अन्य देशो के बीच अन्तर राष्ट्रीय व्यापार व देश के भीतर वाणिज्य व व्यापार संवर्धन व सहायता हेतू बैंको वित्तीय संस्थानों, निर्यातको व आवातकों को दिए गये अग्रिमो/जारी की गई गारंटियों और/ अथवा उनके दायित्वों के संबंध मे उन्हे ऋण बीमा, आश्वासन व गारंटी प्रदान करनाः

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

ECGC Limited

*I. The name of the Company is ECGC Limited.

II. The Registered Office of the Company will be situated in Mumbai.

III. The Objects for which the Company is established are:-

(1) to encourage, facilitate and develop trade between India and other countries as also within the country;

*(2) to provide insurance to exporters and traders in India and to branches, subsidiaries or joint ventures of Indian exporting/trading Companies, which are registered/established outside India and are owned and controlled by Indian exporting/trading Companies (Parent Companies), against any risk of loss by reason of their failure to recover any amount payable in respect of transactions involving export, manufacturing, treatment, sale or distribution of goods, the rendering of services or any other matter which is conducive to objects of the Company.

(3) to give guarantees to or for benefit of persons residing in or belonging to a foreign country, in connection with goods exported or services rendered from India;

(4) to give facilities for financing exports;

(5) to provide such supplementary finance as may be required for promotion and development of exports;

(6) to give loans against hypothecation or pledge of goods, title to property, for the purpose of promoting export trade;

(7) to provide financial help for the purchase of Indian goods on extended payment terms;

(8) to provide credit insurance, sureties, and guarantees in respect of advances given, guarantees issued and/or obligations undertaken by banks, financial institutions, exporters and importers to promote, support or facilitate international trade between India and other countries as well as trade and commerce within the Country.

(9) निर्यातको को विदेशी बाजार के विकास के लिए सर्वेक्षण करने, प्रचार और स्टॉक धारण करने मे उनकी सहायता हेतू गारंटिया प्रदान करना और संवर्धन के उपायों मे किए गये पैसे व्ययो मे हिस्सेदार बनाना बशर्ते इन व्ययों की विकियों से पूरी तरह पूर्ती न हुई हो:

(9क) निर्यातको व व्यापारीयों को व्यापार व वाणिज्य के संवर्धन हेतू फॅक्टरिया सेवाए प्रदान करना:

(9ख) भारत व विदेशी कारोबारी कंपनियों पर ऋण संबंधी जानकारी एकत्रित करना, समेकित करना व उसे इकठठा करने और देशी व आंतरराष्ट्रीय व्यापारीयों तथा ऐसी जानकारी के अन्य उपयोगकर्ताओं को ऋण संबंधित जानकारी प्रदान करना:

(9ग) पुनर्विमा व सह बीमा सेवाए प्रदान करना

(9घ) निर्याताको, व्यापारीयो व सेवा प्रदाताओ को व्यापार प्राप्य प्रबंधन सेवाए प्रदान करना:

(9च) बीमांकित सेवाए व अनुषंगी मूल्यांकन सेवाए प्रदान करना

(9छ) आंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऋण बीमा व अन्य व्यापार संबंधी क्षेत्रो मे विभिन्न संगठनो के माध्यम से सीधे या परोक्ष रुप से व्यावसायीक ज्ञान व कौशल द्वारा प्रोत्साहन

(9ज) भारत की कंपनीयो और अथवा विदेश स्थित कंपनीयों, चाहे वे कंपनी की अनुषंगिक कंपनीया हो या कंपनी या अन्य कंपनीयों के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली हो, उनके कारोबार को आगे बढाने हेतू उन्हे प्रोत्साहन देना, स्थापित करना और अधिगृहित करना।

10. निर्यात के लिए माल का विनिर्माण अथवा संसाधन करने के लिए कच्चे माल और अर्धनिर्मीत (सेमी फिनिश्ड) माल के आयात की सुविधा देने के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा मे ऋण और गारंटिया प्रदान करने सहित ऐसे कार्य हाथ मे लेना जो सरकार द्वारा निगम को समय समय पर सौपे जाऐ।

11. सरकार के एजंट के रुप मे कार्य करना तथा सरकार की स्वीकृति से अपने स्वयं के खातेमे गारंटिया देना और ऐसे उत्तरदायित्व लेना तथा ऐसे कार्य करना जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझे जाऐ।

12. कंपनी की अनमांगी पूंजीसहित उसकी सारी या किसी भी वर्तमान और भावी दोनो की संपत्ती पर शाश्वत रुप से अथवा अन्यथा प्रभारित डिबेंचर अथवा डिबेंचर अथवा स्टॉक विशेष रुप से जारी करके धन उधार लेना अथवा जुटना, धन की चुकौती की ऐसे ढंग से जमानत देना जिसे कंपनी ठीक समझे और ऐसी किसी जमानत को खरीदना, उसका मोचन (रिडीम) करना, अथवा उसके लिए अदायगी करना:

(9) to give guarantees to exporters with a view to assisting them in conducting market surveys, publicity and stock-holding for the development of overseas markets and to share expenses on such promotion measures if the expenses are not fully recouped by sales;

(9A) to provide factoring services to exporters and traders to promote trade and commerce;

(9B) to gather, compile, store credit and other trade-relevant information on business entities in India and abroad and to provide credit information services to domestic and international traders and other users of such information;

(9C) to provide reinsurance and co-insurance services;

(9D) to provide trade receivables management services to exporters, traders and service providers;

(9E) to provide actuarial services and ancillary valuation services;

(9F) to promote and encourage either directly or indirectly through other organizations professional knowledge and skill in the area of international trade, credit insurance and other trade related areas.

(9G) to promote, establish and acquire companies in India / and or abroad either as the Company's subsidiary companies or in joint ownership of the Company with other companies / entities, to carry on the business of the company;

(10) to undertake such functions as may be entrusted to it by Government from time to time, including grant of credits and guarantees in foreign currency for the purpose of facilitating the import of raw materials and semi-finished good for manufacture or processing goods for export;

(11) to act as agent of the Government, or with the sanction of the Government on its own account, to give the guarantees, undertake such responsibilities and discharge such functions as are considered by the Government as necessary in national interest;

(12) borrow or raise or secure payment of money in such manner as the company thinks fit and, in particular, by the issue of debentures or debenture stock, perpetual or otherwise charged upon all or any of the company's property both present and future including its uncalled capital and to purchase, redeem or pay for any such security;

(13) केंद्र सरकार, बैंको, कंपनियों, न्यासो अथवा व्यक्तियॉ द्वारा व्याजसहित अथवा उसके विना जमा अथवा अन्यथा पर ऋण, अग्रिम अथवा भारतीय या विदेशी मुद्रा मे अन्य राशि प्राप्त करना।

(14) विनिमय विलो और वचनपत्रों, डिबेंचर तथा अन्य परक्राम्य अथवा हस्तांतरणीय प्रपत्रों को आहरित करना, तैयार करना, स्वीकार करना, भुताना (डिस्काउंट) निष्पादित करना, जारी करना और बेचान करना।

(15) कंपनी को जिन राशियों की तत्काल आवश्यकता न हो उन्हे ऐसे तरीके से निदेश करना जो समय समय पर निर्धारित किया जाए।

(16) कंपनी की स्थापना तथा संवर्धन मे सभी लागते, प्रभार और किए गये व्यय की अदायगी अथवा ऐसी लागते, प्रभार और व्यय अदा करना जिन्हे कंपनी विज्ञापन, मुद्रण और लेखन सामग्री की लागत तथा कंपनी के व्यवसाय के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करने तथा एजेंसियो के निर्माण और शाखाए खोलने के अनुषंगिक (स्पेंडेंट) व्ययो सहित प्रारंभिक स्वरुप के व्यय मानेगी।

(17) अन्य कोई ऐसा व्यवसाय करना जिसके बारे में कंपनी को ऐसा लगे कि वह अन्य उददे्शों के संबंध मे सुविधापूर्वक किया जा सकता है।

(18) उपर्युक्त सभी बातो या किसी बात को चाहे भारत मे या अन्यत्र करना और अपना व्यवसाय चलाने के प्रयोजनों के लिए और विशेष रुप से निम्नलिखित ऐसी सभी बाते करना जो उनके सबंध मे हो अथवा जो उनके अनुषंगिक होः

(क) अधिकारी और कर्मचारी नियोजित करना और उनके अथवा ऐसे व्यक्तियों की पत्नीयों, विधवाओ और परिवारो के लिए भविष्य निधि या अन्य निधिया स्थापित करके अथवा उन्हे धन, पेन्शन अथवा अदायगियॉ मंजूर करके उनके कल्याण की व्यवस्था करनाः

(ख) भूमि, इमारत, माल और अन्य संपतियॉ खरीदना, पटटे् पर लेना, या अन्यथा अर्जित करना, धारित करना और उन्हे बेचनाः

(ग) कंपनी के प्रयोजन के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक किसी भी इमारत का निर्माण करना रख-रखाव करना अथवा उसमे परिवर्तन करनाः

(घ) एजंटो, सलाहकारो और अटॉर्नियो की नियुक्ति करनाः

(ड) कानूनी कार्रवाई आरंभ करना ओर उससे बचाव करनाः

(च) अपनी सेवाओ का विज्ञापन करना

(छ) अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करना ओर उसकी अदायगी करनाः

(ज) शाखा और अन्य कार्यालय खोलना

(झ) सलाहकार मंडल और परिषद के नियुक्ति

(ट) ऋण वसूली एजेंसी के रुप मे कार्य करनाः

(13) receive grants, loans, advances, or other moneys in Indian or foreign currency on deposit or otherwise from Central Government, banks, companies, trusts or individuals with or without allowance of interest thereon.

(14) draw, make, accept, discount, execute, issue and negotiate bills of exchange and promissory notes, debentures and other negotiable or transferable instruments.

(15) to invest the moneys of the Company not immediately required in such manner as from time to time may be determined;

(16) to pay all costs, charges and expenses incurred in or about the promotion and establishment of the company or which the Company shall consider to be in the nature of preliminary expenses including therein the cost of advertising, printing and stationery and expenses attendant upon the obtaining of information necessary for its business and the formation of agencies and opening of branches;

(17) to carry on any other business which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with other objects of the company;

(18) to do, whether in India or elsewhere all or any of the above things as are necessary or convenient to be done for or in connection with or as incidental to the carrying on its business and, in particular, to-

(a) employ officers and employees and to provide for their welfare and the welfare of the wives, widows and families of such persons by establishing provident or other funds, by grant of money, pensions or other payments;
(b) purchase, take on lease, hire or otherwise acquire, hold and dispose of land, buildings, goods or other properties;
(c) construct, maintain, alter any buildings necessary or convenient for the purpose of the Company;
(d) appoint agents, advisors and attorneys;
(e) institute and defend legal proceedings;
(f) advertise its services;
(g) obtain and pay for information necessary for its business;
(h) open branch and other offices in India and abroad;
(i) appoint advisory boards and councils;
(j) to act as a debt collecting agency;

(ठ) जो अन्य संगठन ऋण के जोखिम बीमा का व्यवसाय करते है उनको पुनबीमा अध्यर्पित (सीड) करना अथवा उसे स्वीकार करनाः

(ड) अपने उददे्शो को आगे बढाते हुए अन्य ऋण जोखिम बीमाकर्ताओ के साथ सहयोग करना तथ ऐसे बीमाकर्ताओं के संघ का सदस्य बननाः

और एसदद्वारा यह घोषणा की जाती है कि किसी पैराग्राफ द्वारा कंपनी को प्रदत्त अधिकारों किसी अन्य पैराग्राफ अथवा कंपनी के नाम का उल्लेख किए जाने अथवा दी या दो से अधिक उददे्शो के साथ साि स्चो जाने से प्रतिबंधित नही होगी और किसी संदिग्धता की सिति मे इसके प्रत्येक पैराग्राफ .... प्रकार लगाया जाएगा किसी उससे कंपनीयों के अधिकार व्यापक हो और प्रतिबंधित न हो।

IV. सदस्यो को देयता सिमित है।

**V. कंपनी की पूंजी १०,००० करोड रुपये (रुपये दस हजार करोड) है जो प्रत्येक १०० रुपये के इक्विटी शेअरवाले १००,००,००,००० (सौ करोड) इक्विटी शेयरो मे विभाजित है।

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते अगले पृष्ठ पर लिखे है, इस बहिर्नियमावली के अनुसरण मे एक कंपनी मे गठित होने के इच्छुक है और हम कमशः कंपनी की पूंजी मे अपने संबंधित नामों के सामने निर्धारित किए गए शेयरों की संख्या लेने के लिए सहमत है।

अभिदाताओ (सबस्कायबर) के नाम, पता और विवरण	प्रत्येक अभिदाता द्वारा गये शेअर्स	गवाह
१. भारत के राष्ट्रपति (एस. रंगनाथन) सचिव वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से	2,49,998	
२. (के वी लाल) संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय, नई दिल्ली	1	
३. (टी सी कपूर) विशेष कार्य अधिकारी वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय, नई दिल्ली	1	

आज तारीख 30 जुलाई 1957 की प्रकाशित

#अधिकृत पूंजी को ₹5000 करोड़ से ₹10000 करोड़ तक बढ़ाने के लिए 05 सितंबर, 2022 को आयोजित सदस्यों की 64वीं वार्षिक आम बैठक में पारित किया गया।

(k) to cede to or accept reinsurance from other organizations who carryon the business of credit risks insurance;
(l) to collaborate and associate with other credit risks insurers and become members of the association of such insurers for furthering its objects;

AND IT IS HEREBY DECLARED that the powers conferred on the Company by any paragraph shall not be restricted by reference to another paragraph or to the name of the Company or by the juxtaposition of two or more objects and that, in the event of any ambiguity, every paragraph hereof shall be construed in such a way as to widen and not to restrict the powers of the Company.

IV. The liability of the members is limited.

#V. The Capital of the Company is ₹10,000 Crores (Rupees Ten thousand crore) divided into 100,00,00,000 (One Hundred Crore) Equity Shares of ₹100 (Rupees Hundred) each.

We, the several persons, whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in pursuance of this Memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite to our respective names.

Names, address and description of subscribers	No. of Shares taken by each Subscriber	Witness
1. President of India (S. Ranganathan) Secretary, Ministry of Commerce & Industry, New Delhi, for and on behalf of the President of India	2,49,998	
2. (K.B.Lal) Joint Secretary Ministry of Commerce & Industry, New Delhi.	1	
3. (T.C.Kapur) Officer on Special Duty Ministry of Commerce & Industry, New Delhi	1	

Dated the 30th JULY 1957

---

passed at the 64th Annual General Meeting of the Members held on September 05, 2022 for increase of Authorised Capital from ₹5000 crore to ₹10000 crore.

ई सी जी सी लिमिटेड

की

अंतर्नियमावली

अनुच्छेद 1. इन अनुच्छेदो मे जब तक कोई भी बात उनकी विषय वस्त अथवा संदर्भ के विपरीत न हो तब तक

क. कंपनी ओर निगम का अर्थ उपर्युक्त नाम की कंपनी है।

ख. अधिनियम का अर्थ कंपनी अधिनियम १९५६ (१९५६ का १) और उसके अध्यतन संविधिक आशोधन अथवा मिश्रित पूजी कंपनियों से संबंधित और कंपनी को प्रभावित करनेवाला कोई अधिनियम अथवा करनेवाले अधिनियम है।

ग. राष्ट्रपति का अर्थ भारत के राट्रपति है।

घ. माह का अर्थ कैलेंडर माह है।

ड निदेशको का अर्थ कंपनी के बोर्ड के वर्तमान निदेशक है।

च अध्यक्ष का अर्थ कंपनी निदेशक मंडल की अध्यक्ष

छ. प्रबंध निदेशक का अर्थ कंपनी के वर्तमान पंजीकृत कार्यालय है।

ज. कार्यालय का अर्थ कंपनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक है।

झ. उपविधियो का अर्थ ऐसी उपविधिया है जो इन अनुच्छेदों के अधीन निदेशक बोर्ड द्वारा बनाई जाऍ अथवा जो फिलहाल लागू हो।

ट. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अर्थ कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है जो निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक पदों पर आसीन हो।

अनुच्छेद 2- अधिनियम की पहली अनुसूची की तालिका क मे दिए गए विनियम कंपनी पर लागू नही होंगे सिवाय इसके कि जहॉ तक उनकी इन अनुच्छेदों अथवा अधिनियम द्वारा पुनरावृत्ती हुई हो, उन्हे इनमे शामिल किया गया हो अथवा उन्हे स्पष्ट रुप से लागू किया गया हो।

*** अनुच्छेद 3- कंपनी के अंतर्नियम से हटाया गया है।

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

ECGC Limited

PRELIMINARY

Article 1.- In these articles, unless there be something in the subject matter or context inconsistent therewith :-

(a) 'The Company' and 'the Corporation', mean the above named Company;

(b) 'The Act' means the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and the statutory modifications thereof up-to-date or any other Act or Acts in force concerning joint stock companies and affecting the Company;

(c) 'The President' means the President of India;

(d) 'Month' means a calendar month;

(e) 'The Directors' means the Directors for the time being of the Company;

(f) 'Chairman' means the Chairman of the Board of Directors for the time being of the Company;

(g) 'Managing Director' means the Managing Director for the time being of the company;

(h) 'The Office' means the Registered Office for the time being of the Company;

(i) 'Bye-laws' means the Bye-laws which may be made by the Directors of the Company under these Articles and which may for the time being be in force;

(j) 'Chairman-cum-Managing Director' means the Chairman-cum-Managing Director for the time being of the Company, holding the offices of the Chairman of the Board of Directors and of the Managing Director.

Article 2.- The Regulation contained in Table A in the first Schedule to the Act shall not apply to the Company, except so far as the same are repeated, contained or expressly made applicable by these Articles or by the Act.

***Article 3.- [Deleted]

पुंजी

#अनुच्छेद 4- कंपनी की पुंजी १०,००० करोड रुपये (दस हजार करोड) है जो प्रत्येक १०० रुपये के इक्विटी शेयरवाले १००,००,००,००० (सौ करोड) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

#अनुच्छेद 4(1).- कंपनी की अधिकृत पूंजी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज के अनुसार होगी, जिसमें पूंजी को बढ़ाने या घटाने की शक्ति होगी और/या शेयरों के नाममात्र मूल्य का हिस्सा होगा और पूंजी में शेयरों को कुछ समय के लिए कई वर्गों में विभाजित करें और क्रमशः ऐसे अधिमान्य, आस्थगित, योग्य या विशेष अधिकार, विशेषाधिकार या शर्तें संलग्न करें, जो मतदान के अधिकार के साथ या उसके बिना निर्धारित की जा सकती हैं। कंपनी या जैसा कि बोर्ड या कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में, जैसा लागू हो, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, और ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार या शर्तों को बदलने, संशोधित करने, समामेलित करने या निरस्त करने और समेकित करने के लिए निर्णय लिया जा सकता है। या शेयरों को उप-विभाजित करें और उच्च या निम्न मूल्यवर्ग के शेयर जारी करें।

शेयर

अनुच्छेद 5- शेयर निदेशक बोर्ड के नियंत्रण के अधीन होंगे जो उन्हे ऐसे निबंधनों और शर्तो पर आबंटित कर सकते अथवा अन्यथा बेच सकते है, जिन्हे वह ठीक समझे, इस पर भी वह ऐसा उन निदेशो के अधीन कर सकता है जिन्हे राष्ट्रपति जारी करे अथवा वह ऐसा इसमे दिए गये उपबंधो के अधीन कर सकते है।

अनुच्छेद 6- विधीद्वारा की गई अपेक्षा को छोडकर, कोई भी व्यक्ति कंपनी द्वारा किसी न्यास के किसी शेयर का धरी होने के रुप मे मान्य किया जाएगा और कंपनी किसी भी प्रकार से किसी साम्यिक (ईक्विटेबल) आकस्मिक भावी शेयर या किसी अन्य शेयर के आंशिक ीाग मे कोई हित अथवा किसी प्रकारे से मान्य करने के लिए बाध्य या मजबूर नही होगी सिवाय इसके कि जब इन विनियमों अथवा विधी द्वारा अन्यथा उपबंध किया गया हो।) परंतु इसका अपवाद पंजीकृत शेयर की संपूर्णता पर एकमात्र अधिकार होना है।

अनुच्छेद 7- १. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका सदस्यो के रजिस्टर मे सदस्य के रुप मे नाम दर्ज है वह शेयरों के आबंटन अथवा अंतरण की रजिस्ट्रि के बाद तीन महिनों के भीतर (अथवा ऐसी अन्य अवधी के भीतर जिसका शेयर जारी किए जाने की शर्त मे उपबंध होगा) निम्नलिखीत प्राप्त करने का हकदार होगा।

क. अपने सभी शेयरों के लिए किसी अदायगी के बिना एक प्रमाणपत्र अथवा

ख अपने प्रत्येक या अधिक शयरों के लिए पहले शेयर के बाद प्रत्येक प्रमाणपत्र के लिए एक रुपये की अदायगी करने पर कई प्रमाणपत्र

2. प्रत्येक प्रमाणपत्र कंपनी की सामान्य मुद्रा के अंतर्गत होगा और उसमे उन शेयरों का उल्लेख होगा जिनसे वह संबंधित है और उस पर उनके लिए अदा कि गई राशी का भी उल्लेख होगा।

#अधिकृत पूंजी को ₹5000 करोड़ से ₹10000 करोड़ तक बढ़ाने और एसोसिएशन के लेखों के खंड 4(1) को शामिल करने के लिए 05 सितंबर, 2022 को आयोजित सदस्यों की 64वीं वार्षिक आम बैठक में पारित किया गया ।

3. अनेक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रुपसे धारित किसी धेयर के संबंध मे कंपनी एक से अधिकव प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बाध्य नही होगी और अनेक संयुक्त शेरधारियों में से किसी एक को शेयर की सुपुर्दगी ऐसे सभी शेयरधारियों को पर्याप्त सुपुर्दगी होगी।

अनुच्छेद 8- यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र विकृत हो जाए, गुम हो जाए अथवा नष्ट हो जाए तो उसका नवीकरण शुल्क अदा करने पर, जो की पचास पैसे से अधिक न हो और साक्ष्य की जॉच करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए ऐसे फुटकर व्यय की अदायगी करने पर किया जा सकता है जिसे निदेशक उचित समझे।

CAPITAL

#Article 4.- The Capital of the Company is ₹10,000 Crores (Rupees Ten Thousand Crores) divided into 100,00,00,000 (One Hundred crore) Equity shares of ₹100 (Rupees Hundred) each.

#Article 4(1).- The Authorised Capital of the Company shall be as per capital clause of the Memorandum of Association of the Company with power to increase or reduce the capital and/ or the nominal value of the shares forming part thereof and to divide the shares in the capital for the time being into several classes and to attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or special rights, privileges or conditions with or without voting rights as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the Company or as may be decided by the Board or by the Company in the general meeting, as applicable, in conformity with the provisions of the Act, and to vary, modify, amalgamate or abrogate any such rights, privileges or conditions and to consolidate or sub-divide the shares and issue shares of higher or lower denominations.

SHARES

Article 5.- The shares shall be under the control of the Board of Directors whomay allot or otherwise dispose of them on such terms and conditions as it considers fit, subject nevertheless to such direction as the President may issue from time to time, and to the provisions hereinafter contained.

Article 6.- Except as required by law, no person shall be recognized by the Company as holding any share upon any trust, and the Company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognize (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

Article 7.(1)- Every person whose name is entered as a member in the register of members shall be entitled to receive within three months after allotment (or within such other period as the condition of issue shall provide) or registration of transfer :-

(a) one certificate for all his shares without payment, or

(b) several certificates, each for one or more of his shares, upon payment of one rupee for every certificate after the first.

(2) Every certificate shall be under the common seal of the Company and shall specify the shares to which it relates and amount paid up thereon.

---

passed at the 64th Annual General Meeting of the Members held on September 05, 2022 for increase of Authorised Capital from ₹5000 crore to ₹10000 crore and for incorporation of clause 4(1) of the Articles of Association.

(3) In respect of any share or shares held jointly by several persons the company shall not be bound to issue more than one certificate and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

Article 8.- If a share certificate is defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of such fee, if any, not exceeding paisa fifty, and on such terms, if any, as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses incurred by the company in investigating evidence, as the Directors think fit.

अनुच्छेद 9- किसी सदस्य द्वारा आवेदन किए जाने पर और/अथवा उसके इसमे इसके पहले अनुच्छेद ७ के खंड १ के उपखंड (ख) मे निर्धारित अदायगी किए जाने पर कंपनी उसके द्वारा पारित प्रमाणपत्र रदद् कर देंगे और उसके बदले प्रत्येक एक शेयर या एक से अधिक शेयरों के लिए एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करेगी बशर्ते जब कभी राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयरों के लिए जारी किए यह्‌माणपत्र को एक से अधिक प्रमाणपत्रों मे विभाजित किया जाना हो तब कोई अदायगी करने की आवश्यकता नही होगी।

ग्रहणाधिकार

अनुच्छेद 10- कंपनी का

क. प्रत्येक शेयर (जो पूरी तरह अदा न किया गया शेयर हो) ओर उस शेयर के लिए मॉगी गई अथवा किसी निर्धारित समय मे देय सभी राशियों (चाहे वे वर्तमान मे देय हो या नही) पर और

ख किसी अकेले व्यक्ति के नाम मे पंजीकृत रहनेवाले सभी शेयरो (जो पूरी तरह अदा किए गए शेयर न हो) उसके द्वारा देय वर्तमान सभी राशियों और कंपनी को जमानत दी गई उसकी संपदा पर- पहला और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा बशर्ते निदेशक बोर्ड किसी भी शेयर को किसी भी समय इस खंड के उपबंधो से पुर्णतः या अंशतः मुक्त होने की घोषणा कर सकता है।

अनुच्छेद 11- कंपनी का जिस किसी शेयर पर ग्रहणाधिकार हो उसे कंपनी ऐसे तरीके से बेच सकती है जिसे बोर्ड उचित समझता हो बशर्ते ऐसी कोई भी बिक्री तब तक नही की जाएगी।

क. जब तक कि जिस राशि के भाग के लिए ग्रहणाधिकार हो वह फिलहाल देय हो अथ

ख. जब तक कि जिस राशि के भाग के लिए ग्रहणाधिकार है वह फिलहाल देय हो और उसकी अदायगी का उल्लेख और मॉग करते हुए शेयर के वर्तमान पंजीकृत धारी व्यक्ति को कुछ समय के लिए उसके हकदार व्यक्ति के शेयर को उसकी मृत्यू अथवा उसके दिवालिया होने के कारण लिखित रुप मे सूचना दिए जाने के बाद चौदह दिन समाप्त न हो गए हो।

अनुच्छेद 12- 1. बोर्ड ऐसी किसी बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए किसी व्यक्ति को उसके खरीदार को बेचे गये शेयरों का अंतरण करने का अधिकर दे सकते है।

2. खरीदार को ऐसे किसी अंतरण मे शामिल शेयरो के धारी के रुप मे पंजीकृत किया जाएगा।

3. खरीदार खरीद की राशि के उपयोग के देखने के लिए बाध्य नही होगा और न ही बिक्री से संबंधित कारवाई की किसी अनियमितता अथवा अमान्ता से शेयरों पर उसका हक प्रीाावित होगा।

अनुच्छेद 13- 1. कंपनी द्वारा विक्री आगम प्राप्त किया जाएगा ओर उसका उपयोग जो राशि वर्तमान मे देय है और जिस पर ग्रहणाधिकार विदयमान है उसके भाग की अदायगी करने के लिए किया जाएगा।

2. यदि कोई अवशिष्ट राशि (रेसीडयू) हो तो विक्री से पहले शेयरो पर वर्तमान देय न रहनेवाली जिन राशियों के लिए इसी प्रकार का ग्रहणाधिकार विदयमान था उनके अधीन उसकी अदायगी विक्री की तारीख को शेयरों के हकदार व्यक्ति को कर दे जाएगी।

Article 9.- On application by a member and/or his making payment as prescribed by sub-clause (b) of clause 1 of Article 7 hereinbefore the Company shall cancel the Certificate held by him and issue in lieu thereof more than one certificate, each for one or more shares, provided that no payment shall be required whenever the certificate in respect of the shares held by the President has to be split into more than one certificate.

LIEN

Article 10.- The Company shall have a first and paramount lien-

(a) on every share {not being fully-paid share} for all moneys(whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share, and

(b) on all shares (not being fully-paid shares) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Company:

Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

Article 11.- The Company may sell, in such manner as the Board thinks fit, any share on which the Company has lien :-

Provided that no sale shall be made:-

(a) unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable; or

(b) until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share of the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

Article 12.(1) To give effect to any such sale the Board may authorize some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

(2) The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer.

(3) The purchaser shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.

Article 13.- (1) The proceeds of the sale shall be received by the Company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable.

(2) The residue, if any, shall, subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the share before the sale, be paid to the person entitled to the shares at the date of sale.

शेयरो से संबंधित रशियों की मॉगे

अनुच्छेद 14-1. बोर्ड सदस्यों से उनके शेयरों से संबंधित अदा न की गई किन्ही राशियों की मॉग, चाजे ये शेयरों के अंकित मूल्य के लिए अथवा उनकी प्रीमियम के रुप मे की जानी हो, समय समय पर न कि उनके आबंटन की शर्तो के अनुसार निर्धारित समयों पर उनके देय होने पर कर सकता है।

2.प्रत्येक सदस्य कम से कम चौदह दिनों की जिस सूचना मे अदायगी के समय या समयों और जगह का उल्लेख हो, उसके मिलने के कम से कम चौदह दिनों के भीतर कंपनी को अपने शेयरों की मॉगी हुई राशि अदा करेगा।

3.बोर्ड के निर्देश पर सिी मॉग को प्रतिसंहत या स्थगित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 15-जिस समय किसी मॉग को प्राधिकृत करनेवाला प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो उसी समय से किसी मॉग का किया जाना, माना जाएगा और उसकी, किस्तो मे अदायगी करने की अपेक्षा की जा सकती है।

अनुच्छेद 16- किसी शेयर के संयुक्तधारी उसके संबंध मे की गई मॉगो को अदा करने के लिए संयुक्त रुप से और अलग अलग उत्तरदायी होंगे।

अनुच्छेद 17- 1. यदि किसी शेयर के संबंध मे मॉग की गई राशि उसकी अदायगी के निर्धारित दिन तक अथवा उसके पुर्व नही अदा की जामी तो जिस व्यक्ति पर उसकी राशि बकाया है वह उसकी अदायगी करने के लिए निर्धारित दिन से वास्तविक अदायगी के समय तक के लिए उस पर पॉच प्रतिशत की वार्षिक दर पर अथवा यदि इससे कम कोई ऐसी दर हो जिसे बोर्ड निर्धारित करे, उस पर ब्याज अदा करेगा।

2. बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह इस प्रकार के ब्याज की अदायगी करने मे पूर्णतः या अंशतः छूट प्रदान करे।

अनुच्छेद 18- 1. कोई भी राशि शेयर के निर्गम की शर्तो के अनुसार आबंटन पर अथवा किसी निर्धारित तारिख को देय हो जाती है चाहे वह शेयर के अंकित मूल्य अथवा उसकी किस्त के रुप मे देय हुई हो उसे इन विनियमों के प्रयोजन के लिए यथाविधी की गई मॉग माना जाएगा और वह उस तारीख को देय होगी जिसको निर्गम की शर्तो के अनुसार ऐसी राशि देय होती हो।

2. ऐसी राशि की अदायगी न किए जाने के मामले मे इन विनियमों के ब्याज और व्ययों की अदायगी, जव्ती या अन्यथा संबंधित सभी संगत उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि, मॉग के यथाविधी किए जाने और अधिसूचना किए जाने के फलस्वरुप ऐसी राशि देय हो गई हो।

CALLS ON SHARES

Article 14.- (1) The Board may, from time to time, make calls upon the members in respect of any moneys unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times.

(2) Each member shall subject to receiving at least fourteen days notice specifying the time or times and place of payment, pay to the Company at the time or times and place so specified, the amount called on his shares.

(3) A call may be revoked or postponed at the direction of the Board.

Article 15.:- A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and may be required to be paid by instalments.

Article 16.- The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

Article 17- (1) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at five percent per annum or at such lower rate, if any, as the Board may determine.

(2) The Board shall be at liberty to waive payment of any such interest wholly or in part.

Article 18.(1) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium shall, for the purposes of these regulations, be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue such sum becomes payable.

(2) In case of non-payment of such sum, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.

अनुच्छेद 19- बोर्ड

क. किसी सदस्य द्वारा धारित किन्ही शेयरों से संबंधित मॉगी न गई और अदा न की गई सारी राशियों या उनके किसी भाग का अग्रिम देने के इच्छुक सदस्य से यदि वह उचित समझता है तो उन्हे या उसे प्राप्त कर सकता है, और

ख. इस प्रकर अग्रिम दी गई सभी राशियों या किसी राशि पर (जब तक वे ऐसे अग्रिम के लिए वर्तमान में देय नही हो जाती) तब तक छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर जो बोर्ड और राशि की अदायगी करनेवाले सदस्य के वीच तय की जाए से अधिक नही होगी, पर ब्याज अदा करेगा वशर्ते कंपनी ने अपनी सामान्य वैठक में अन्यथा निर्देश न दिया हो।

शेयरों का हस्तांतरण

***अनुच्छेद 20- कंपनी के अंतर्नियम से हटाया गया है।

अनुच्छेद 21- 1. कंपनी के किसी शेयर को हस्तांतरीत करने की लिखत हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी दोनों के द्वारा अथवा दोनों की ओर से निष्पादित की जाएगी।

2- हस्तांतरणकर्ता का उस समय तक शेयर का धारी रहना माना जाएगा जब तक उसके संबंध मे हस्तांतरी नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नही हो जाता।

***अनुच्छेद 22(क) भारत के राष्ट्रपति और/या उनके नामांकित व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरण के मामले मे कंपनी के शेयर निम्नलिखित प्रारुप या किसी भी प्रचलित या सामान्य रुप मे जिसे बोर्ड स्वीकृति देगा, मे स्थानांतरित किया जाएगाः

मै एबी ..... को सीडी द्वारा भुगतान की गई राशि ..... के एवज मे ..... (आगे हस्तांतरी लिखा जाएगा) को शेयर संख्या ..... से ... तक (दोनो शामिल है) को हस्तांतरीत करता हूँ, जो उपक्रम मे जिसे ... कंपनी लिमीटेड, कहा जाता है के है, जिन्हे उनके निष्पादको, प्रशासको और असाईन किए गये हस्तांतरण के लिए, विभिन्न परिस्थितीयों के अधीन, जिस पर इस निष्पादन से पहले तक मेरे पास है, हस्तांतरी को, उपर्युक्त शर्तो के अधीन इस तरह के शेयर (या शेयर) लेने के लिए सहमत हूँ।

हमारे गवाह के रुप मे .....

.....की तारीख को .....

हस्ताक्षर के लिए गवाह, इत्यादी

(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा हस्तांतरण के मामले में:

किसी भी शेयर के हस्तांतरण के साधन लिखित रुप मे और निर्धारित कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा ५६ (१) के तहत, समय समय पर संशोधित रुप मे किया जाएगा।

Article 19.- The Board-

a) may, if it thinks fit, receive from any member willing to advance the same, all or any part of the moneys uncalled and unpaid upon any share held by him; and

b) upon all or any of the moneys so advanced, may (until the same would, but for such advance, become presently payable) pay interest at such rate not exceeding, unless the Company in general meeting shall otherwise direct, six percent per annum, as may be agreed upon between the Board and the member paying the sum in advance.

***Article 20.- [Deleted]

Article 21.- (1) The instrument of transfer of any share in the Company shall be executed by or on behalf of both the transferor and transferee;

(2) The transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of members in respect thereof

***Article 22 (a).- In case of transfer By President of India and/or his nominees:

Share in the Company shall be transferred in the following form, or in any usual or common form which the Board shall approve :-

I, A.B. of..... ; in consideration of the sum of Rupees..... paid to me by C.D. of.....(hereinafter called "the transferee") do hereby transfer to the transferee the share (or shares)numbered ……to ……inclusive, in the undertaking called the……Company Limited, to hold unto the said transferee his executors, administrators and assigns, subject to the several conditions on which I held the same immediately before the execution hereof; and I, the transferee, do hereby agree to take the said share (or shares), subject to the conditions aforesaid.
As witness our hands this .....day of.....

Witness to the signature of, etc."

(b) In case of transfer by Members other than (a) above: the instrument of transfer of any share shall be in writing and in the form prescribed under section 56(1) of the Companies Act, 2013, as may be amended from time to time.

अनुच्छेद 23- बोर्ड हस्तांतरण की किसी लिखत की तब तक मान्यता प्रदान करने से इनकार कर सकता है जब तक हस्तांतरण की लिखत के साथ दे शेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए गये हो जिनसे वह संबंधित हो और उसके साथ ऐसे अन्य साक्ष प्रस्तुत न किए गये हो, जिनके बोर्ड ने हस्तांतरणकर्ता से उसके हस्तांतरण करने के अधिकार को दर्शाने के लिए उचित रुप से अपेक्षा की हो।

***अनुच्छेद 24-क. बोर्ड के पास यह अधिकारी होंगे कि अधिनियम की धारा ९१ के अनुसार जिलास्तरीय, जहा कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, समाचार पत्रों मे विज्ञापन के जरिए सात दिन पूर्व सूचना देकर, हस्तांतरण रजिस्अर, सदस्यों का रजिस्टर या डिबेंचर धारको के पंजीकरण का रजिस्अर उस अवधि या अवधि के लिए एक समय मे तीस दिन से अधिक नही हो और प्रत्येक वर्ष मे कुल पैतालिस दिनों से अधिक न हो के लिए बंद कर सकता है।

ख. कंपनी हस्तातरण का रजिस्टर नामक पुस्तक रखेगी और इसमे किसी भी शेयर के प्रत्येक स्थानांतरण या संचरण के विवरणो को पर्याप्त और स्पष्ट रुप से प्रवेश किया जाएगा।

ग. किसी ऐसे व्यक्ति को कोई हस्तांतरण नही किया जाएगा जो अवयस्क या विक्षिप्त है।

घ. किसी भी शेयर के संयुक्त धारको के रुप मे सदस्यो के रजिस्अर मे नामित एक या अधिक व्यक्तियों की दिवालियापन या परिसमापन के मामले मे, शेष शेयर धारक या शेयर धारक कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे जो इस तरह के शेयर के पात्र है या हितधारक है, लेकिन इसमे ऐसा कुछ भी शामील नही है, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रुप से उनके शेयरो पर किसी भी उत्तरदायित्व हेतू व्यक्ति की संपत्ती को जारी करने के लिए लिया जाएगा।

अधिनियम के प्रावधानो के अधीन कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदस्य के दिवालियापन या परिसमापन के परिणामस्वरुप शेयरों का हकदार हस्तांतरण से इतर बोर्ड की सहमति से जिसके लिए बोर्ड बाध्य नही है,जो की यह प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि वह इस अनुच्छेद के तहत प्रस्तावित कार्य के लिए पात्र है, बोर्ड की पर्याप्त संतुष्टि पर या तो धारक के रुप मे स्वयं पंजीकृत होता है अथवा उसके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति को नामित किया जाता है तथा बोर्ड द्वारा ऐसे शेयर के धारक के रुप मे पंजीकरण को अनुमोदित किया गया है।

***अनुच्छेद 25- प्रोबेट एल ओ ए आदि के पंजीकरण पर लागू शुल्क हस्तांतरण, संचरण, प्रोबेट उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और प्रशासनिक पत्र, मृत्यू या शादी का प्रमाणपत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी या इसी तरह के अन्य दस्ताऐवज के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नही लिया जाएगा।

Article 23.-The Board may decline to recognize any instruments of transfer unless the Instrument of transfer is accompanied by the certificates of the shares to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer.

***Article 24.- (a) The Board shall in accordance with Section 91 of the Act, have power on giving seven days' previous notice by advertisement in some newspaper circulating in the district in which the Registered Office of the Company is situated to close the Transfer Books, the Register of Members or Register of debenture holders at such time or times and for such period or periods not exceeding thirty days at a time and not exceeding in aggregate forty-five days in each year as it may deem expedient.

(b) The Company shall keep a book, to be called the "Register of Transfer" and therein shall be fairly and distinctly entered particulars of every transfer or transmission of any share.

(c) No transfer shall be made to a person who is minor or of unsound mind.

(d) In the case of insolvency or liquidation of one or more of the persons named in the Register of Members as the joint-holders of any share, the remaining holder or holders shall be the only persons recognised by the Company as having any title to, or interest in, such share, but nothing herein contained shall be taken to release the estate of the person under insolvency or liquidation from any liability on shares held by him, jointly with any other person.

Subject to the provisions of the Act, any person becoming entitled to shares in consequence of insolvency or liquidation of any Member, by any lawful means other than by a transfer in accordance with these presents, may, with the consent of the Board, which it shall not be under any obligation to give and, upon producing such evidence that he sustains the character in respect of which he proposes to act under this Article, or of his title as the Board thinks sufficient either be registered himself as the holder of the shares or elect to have some person nominated by him and approved by the Board of Directors registered as holder of such shares.

***Article 25.-Levy of fees on registration of probate, LOA, etc.: No fee shall be charged for registration of transfer, transmission, probate, succession certificate and letters of administration, certificate of death or marriage, power of attorney or similar other document.

शेयरो का प्रेषण

अनुच्छेद 26- 1. किसी सदस्य की मृत्यू होने पर जहॉ सदस्य संयुक्त शेयरधारी हो वहॉ उसका उत्तरजीवी और जहॉ वह एकमात्र धारी हो वहॉ उसका कानूनी प्रतिनिधी कंपनी द्वारा मान्य किये जानेवाला/वाले ऐसा/ऐसे एकमात्र व्यक्ति होगा/होंगे जिसका/जिनका शेयर धारी के शेयरो के हित पर कोई हक है।?

2. खंड (1) की कोई भी बात किसी भी ऐसे शेयर कं संबंध मे मृत संयुक्त शेयरधारी की संपदा को किसी दायित्व से मुक्त नही करेगी जो उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रुप से धारित किया गया हो।

अनुच्छेद 27- 1. किसी सदस्य की मृत्यू होने अथवा उसका दिवाला निकल जाने के फलस्वरुप किसी शेयर का हकदार बननेवाले व्यक्ति के ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुत किए जाने पर जिसकी बोर्ड द्वारा समय समय पर उचित रुप से अपेक्षा की जाए ओर इसमे इसके बाद किए गए उपबंध के अनुसार या तो

क. स्वयं की शेयर धारी के रुप मे रजिस्अर कराए जाने या

ख. शेयर का ऐसा हस्तांतरण कराने का चुनाव करे जो मृत अाविा दिवालिया सदस्य कर सकता है।

2. बोर्ड को दोनो मेसे प्रत्येक मामले मे रजिस्ट्रि करने से इनकार करने या उसका स्थगन करने का यही अधिकार होगा जो म्त अथवा दिवालिया सदस्य को उस स्थिती में होता जब उसने अपनी मृत्यू या अपने दिवालिया होने के पहले शेयर हस्तांतरीत किया हो।

अनुच्छेद 28-क 1. यह व्यक्ति जो हकदार होने जा रहा है तो वह स्वयं को शेयर धारक के रुप मे पंजीकृत करना होगा एवं वह कंपनी को लिखि तमे हस्ताक्षरित एक नोटीस दिया जाएगा कि वह ऐसा करने की सूचना होगी।

2. यदि उपरोक्त व्यक्ति शेयर को स्थानांतरित करने का चयन करेगा, तो उनको शेयर के हस्तांतरण के जरिए इसका प्रमाणन देना होगा।

3. हस्तांतरण के अधिकार और शेयरो के हस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित इन नियमों की सभी सीमाऐं प्रतिबंध और प्रावधान उपरोक्त के रुप मे ऐसी किसी भी नोटीस या हस्तांतरण पर लागू होंगे जैसे की सदस्य की मृत्यू या दिवालियापन नही हुआ हो और नोटिस या स्थानांतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्तांतरण था।

ख. कंपनी के पंजीकरण अथवा हस्तांतरण के परिणामस्वरुप किसी भी देयता या जिम्मेदारी नही लेती है या स्पष्ट कानूनी मालिक द्वारा किए गए शेयरों के किसी भी हस्तांतरण को प्रभावित नही करता है (जैसा कि सदस्यो के रजिस्टर मे दिखाया गया है या दिखाई देता है।) किसी भी शेयर के लिए भी न्यायसंगत अधिकार,शीर्षक या हितधारक व्यक्तियों का इसके बावजूद कि कंपनी को ऐसे हस्तांतरण के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने वाले इस तरह के न्यायसंगत अधिकार, शीर्षक या हित या नोटिस हो

TRANSMISSION OF SHARES

Article 26.- (1) On the death of a member, the survivor or survivors where the member was a joint holder, and his legal representative where he was a sole holder, shall be the only persons recognized by the Company as having any title to his interest in the shares.

(2) Nothing in clause (1) shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.

Article 27.- (1) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either :-

(a) to be registered himself as holder of the share; or

(b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made.

(2) The Board shall in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.

***Article 28.- (a).-(1) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the Company a notice in writing signed by him stating that he so elects.

(2) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share.
(3) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfers as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member.

(b) The Company shall not incur any liability or responsibility whatever in consequence of its registering or giving effect to any transfer of shares made or purporting to be made by the apparent legal owner thereof (as shown or appearing in the Register of Members) to the prejudice of persons having or claiming any

सकता है और यह भी हो सकता है कि इस तरह के नोटिस मे उल्लेख किया हो या कंपनी और कंपनीव को भुनाने या उपस्थिती या प्रभाव देने के लिए या किसी भी देयाता के तहत इनकार करने या उपेक्षित करने के लिए ऐसा करने के लिए बाध्य या आवश्यक नही होगा हालांकि इसे कंपनी के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो या संदर्भित किया गया हो लेकिन कंपनी को इस तरह की किसी भी सूचना जिसे निदेशंक उचित समझे के सबंध मे सहमति और उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगीं।

अनुच्छेद 29- शेयरधारी की मृत्यू या उसके दिवालिया हो जाने के कारण किसी व्यक्ति के शेयर का हकदार बनने पर वह उन्ही लाभांशो और अन्य लाभों का हकदार होगा जिनके लिए वह उस स्थिती मे हकदार होता है जब वह शेयर का धारी होता सिवाय इसके कि वह शेयर के लिए सदस्यस के रुप मे पंजीकृत किये जाने से पहले उसके संबंध मे कंपनी की बैठकों से संबंधित सदस्यता द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नही होगा।

यह उपबंध किया जाता है कि बोर्ड ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए उसे किसी भी समय वह सूचना दे सकता है कि वह या तो स्वयं को पजीकृत कराने या शेयर का हस्तांतरण करने का चयन कर ले।
और यदि इस सूचना का अनुपालन नब्बे दिनों के भीतर नही किया जाता तो बोर्ड उसकि बाद शेयर से संबंधित सभी लाभांशो,बोनासो या अन्य देय राशियों की अदायगी तब तक रोक सकता है जब तक सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नही किया जाता।

शेयरो की जब्ती

अनुच्छेद 30- यदि सदस्य किसी मॉग अथवा मॉग की किस्त उस तारीख को अदा नही कर पाता, जा उसकी अदायगी की नियत तारीख है, तो बोर्ड उसके बाद जिस समय के दौरान मॉग का कोई भाग अथवा उसकी किस्त अदा न कि गई हो, उसमे सदस्य को जितनी मॉग अथवा किस्त अदा न की गई हो उसकी ऐसी ब्याज सहित अदायगी की अपेक्षा करते हुए एक सूचना तामील कर सकता है जो प्रोदभूत हुआ हो।

अनुच्छेद 31 पूर्वोक्त सूचना मे

क. आगे के ऐसे दिन (जो सूचना के तामील किये जाने की तारीख के चौदह दिनों की समाप्ति के पहले का दिन नही होगा) का उल्लेख होगा जिसको या जिसके पहले सूचना मे अपेक्षा किए गए अनुसार अदायगी की जानी है और

ख. यह बताया जाएगा कि इस प्रकार उल्लेख की गई तारीख को या इससे पहले अदायगी न किए जाने की स्थिती में जिन शेयरों के लिए मॉग की गई थी उनका जब्त किया जाना संभव है।

अनुच्छेद 32 यदि पूर्वोक्त प्रकार से दी गई किसी ऐसी सूचना की अपेक्षाओं का पालन नही किया जाता तो जिस किसी शेयर के लिए सूचना दी गई हो वह उसके दिए जाने के बाद किसी भी समय, इसके पहले कि सूचना द्वारा अपेक्षित अदायगी कर दि गई हो, बोर्ड के उसके जब्त किए जाने के आशय के संकल्प द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

equitable right, title or interest to or in the same shares notwithstanding that the Company may have had notice of such equitable right, title or interest or notice prohibiting registration of such transfer, and may have entered such notice or referred thereto in any book of the Company and the Company shall not be bound or required to regard or attend or give effect to any notice which may be given to them of any equitable title or interest or be under any liability whatsoever for refusing or neglecting so to do though it may have been entered or referred in some book of the Company but the Company shall nevertheless be at liberty to regard and attend to any such notice and to give effect thereto, if the Directors shall so think fit.

Article 29.-A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not before being registered as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the Company;

Provided that the Board may, at any time give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the share, until the requirements of the notice have been complied with.

FORFEITURE OF SHARES

Article 30.- If a member fails to pay any call, or installment of a call on the day appointed for payment thereof the Board may, at any time thereafter during such time as any part of the call or installment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or installment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.

Article 31.- The notice aforesaid shall –

(a) Name a further day(not being earlier than the expiry of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made, and

(b) State that in the event of non payment on or before the day so named, the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.

Article 32.- If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by resolution of the Board to that effect.

अनुच्छेद33 1. जव्त किया गया शेयर ऐसे तरीके से वेचा जा सकता है अथवा उसका अन्यथा निपटाना किया जा सकता है जिसे बोर्ड उचित समझे।

2. पूर्वोक्त प्रकार से विक्रगी या निपटान किए जाने से पहले बोर्ड जव्ती को ऐसी शर्तो पर रद्द् कर सकता है जिसे वह उचित समझे।

अनुच्छेद 34 1. जिस व्यक्ति के शेयर जव्त कर लिए गये हो उसका जव्त किए गये शेयरों के लिए सदस्य रहना बंद हो जाएगा, परंतू वह जव्ती के बावजूद कंपनी के शेयरों कें संबंध मे उसके द्वारा कंपनी को ऐसी सभी राशिया अदा करने का उत्तरदायी बना रहेगा जो जव्ती की तारीख का उसके द्वारा फिलहाल देय थी।

2. ऐसे व्यक्ति की देयता उस समय समाप्त हो जाएगी जब कंपनी ने शेयरो के लिए ऐसी सभी राशियों की पूरी अदायगी प्राप्त कर ती हो।

अनुच्छेद 35 1. यथाविधी सत्यापित की गई इस आशय की लिखित रुप मे घोषणा कि घोषणा करनेवाला व्यक्ति कंपनी का निदेशक, प्रबंध-एजंट, सचिव और कोषाध्यक्ष, प्रबंधक या सचिव है और घोषणा मे उल्लेख की गई तारीख को कंपनी का शेयर यथविधी जव्त कर लिया गया है, शेयर का हकदार होने का दावा करनेवाल सभी व्यक्तियों के विरुध्द उसमे उल्लिखित तथ्यों का अंतिम साक्ष्य होगा।

2. कंपनी को किसी शेयर की विक्री या उसके निपटान के लिए यदि कोई प्रतिफल दिया जाता है तो वह उसे प्राप्त कर सकता है और वह उस व्यक्ति के नाम शेयर का हस्तांतरण कर सकती है, जिसको शेयर बेचा गया या निपटान मे दिया गया हो।

3. हस्तांतरी को इसके फलस्वरुप शेयर के धारी के रुप मे पंजीकृत किया जाएगां।

4. यदि खरीद कि कोई राशि हो तो हस्तांतरी उसके उपयोग की जॉच रकने के लिए बाध्य नही होगा और न ही शेयर पर उसका हक शेयर की जव्ती, विक्री अथवा निपटान के संदर्भ में की गई कारवाईयो की किसी अनियमितता अथवा अमान्यता से प्रभावित होगा।

अनुच्छेद 36 जो राशि किसी शेयर के निर्गम की शर्तो के अनुसार किसी निर्धारित समय पर चाहे शेयर के अंकित मूल्य अथवरा उसकी वढौती (प्रिमीयम) के फलस्वरुप,देय होती हो उसकी अदायगी न किये जाने के मामले मे जव्ती से संवंधित इन विनियमों के उपवंध उसी प्रकार लागू होंगे कि यह यथाविधी मॉग किये जाने और अधिसूचित मॉग के फलस्वरुप देय हुई हो।

लाभांश

अनुच्छेद 36 क 1. कंपनी साधारण वैठक मे लाभांश घोषित कर सकती है परंतू कोई भी लाभांश बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई राशि से अधिक नही हो सकता।

Article 33.- (1) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such manner as the Board thinks fit.

(2) At any time before a sale or disposal as aforesaid, the Board may cancel the forfeiture on such terms as it thinks fit.

Article 34.-(1) A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding the forfeiture, remain liable to pay to the Company all moneys which, at the date of forfeiture were presently payable by him to the Company in respect of the shares.

(2) The liability of such person shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such moneys in respect of the shares.

Article 35.- (1)A duly verified declaration in writing that the declarant is a director, the managing agent, the Secretary and Treasurer, the manager or the secretary, of the Company, and that a share in the Company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share.

(2) The Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute transfer of the share in favor of the person to whom the share is sold or disposed of.

(3) The transferee shall thereupon be registered as the holder of the share.

(4)The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.

Article 36.- The Provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

DIVIDEND

Article 36A.- (i) The Company in General Meeting may declare dividends but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.

2. जिन शेयरो के लिए लाभांश अदा किया जाता है उनके संबंध मे अदा कि गई राशियों के अनुसार सभी लाभांश घोषित ओर अदा किये जाऐगे। इस पर भी जिस अवधि के शेयरो पर लाभांश अदा किया गया है उसके दौरान अदा कि गई राशियों के किसी भाग अथवा किन्ही भागों के अनुसार लाभांश विभाजित किया जाएगा आध्रैर आनुपातिक रुप मे अदा किया जाएगा।

3. किसी शेयर के संबंध मॉगो से पहले अदा कि गई किसी राशि को इस विनियम के प्रयोजन के लिए शेयर के संबंध मे अदा कि गई राशि नही माना जाएगा।

पूंजी मे परिवर्तन

अनुच्छेद 37 कंपनी साधारण संकल्प से अपनी शेयर पूंजी मे समय समयपर ऐसी राशि की वृध्दी कर सकती हे जो ऐसी राशि के शेयरों मे विभाजित की जाएगी जो संकल्प में विहित की जाए।

अनुच्छेद 38 कंपनी विशेष संकल्प से अपनी शेयर पूंजी को किसी भी प्रकार से तथा विधी द्वारा अपेक्षित किसी प्राधिकृत अधिकार और सहमति से और उसके अधीन कम कर सकती है।

सामान्य बैठके

अनुच्छेद 39 वार्षिक बैठको को छोडकर सभी सामान्य बैठके असाधारण सामान्य बैठके कहलाएंगी।

***अनुच्छेद 40.क. कपंनी की आम बैठक को लिखि तमे या
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रासंगिक लागू अधिनियम/नियमों के अनुसार कम से कम २१ दिन के नोटिस देकर आयोजित की जा सकती है।

ख. यदि वोट करने के पात्र कम से कम ०७ प्रतिशत सदस्यो द्वारा सहमति दी जाती है तो लिखि तमे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यों अल्पसूचना देकर भी आम बैठक बुलाई जा सकती है।

अनुच्छेद 41 1. बोर्ड जब भी उचित समझे तब असाधारण सामान्य बैठक बुला सकता है।

2. यदि किसी समय निदेशको का कार्य करने के लिए ऐसे सक्षम निदेशक भारत मे न हो जिनकी संख्या गणपूर्ती (कोरम) के लिए पर्याप्त हो तो कोई भी निदेशक या कंपनी के कोई भी दो सदस्य उस तरीके के यथासंभव निकट रहते हुए असाधारण सामान्य बैठक बुला सकते है जिनके अनुसार बोर्ड द्वारा इस प्रकार की बैठक बुलाई जाती है।

सामान्य बैठको की कार्रवाई

अनुच्छेद 42 1. किसी भी सामान्य बैठक मे कोई भी कामकाज (बिजनेस) तब तक नही किया जाएगा जब तक उपस्थित सदस्यो की गणपूर्ती उस समय न हो गई हो जब बैठक अपना कामकाज आरंभ करती हो।

2. इसमे अन्यथा उपबंधित स्थिती को छोडकर दो सदस्यो की व्यक्तिगत उपस्थिती से गणपूर्ती हो जाएगी।

(ii) All dividends shall be declared and paid according to the amounts paid on the shares in respect whereof the dividend is paid. The dividends shall however be apportioned and paid proportionately on the amounts paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid.

(iii) No amount paid on a share in advance of calls shall be treated for the purpose of this Regulation as paid on the share

ALTERATION OF CAPITAL

Article 37.- The Company may, from time to time, by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.

Article 38.-The Company may, by special resolution, reduce its share capital in any manner and with, and subject to, any incident authorized and consent required by law.

GENERAL MEETINGS

Article 39.- All general meetings other than annual general meetings shall be called extraordinary general meetings.

***Article 40.-(a) A General Meeting of the Company may be called by giving not less than twenty one days notice in writing or through electronic mode as may be prescribed in the relevant applicable Act/Rules.

(b) A General Meeting may be called after giving a shorter notice if consent is given in writing or by electronic mode by not less than ninety-five per cent of the members entitled to vote at such meeting.

Article 41.-(1) The Board may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting.

(2) If at any time there are not within India directors capable of acting who are sufficient in number to form a quorum, any director or any two members of the Company may call an extraordinary general meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which such a meeting may called by the Board.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

Article 42.- (1) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business.

(2) Save as herein otherwise provided, two members present in person shall be quorum.

अनुच्छेद 43 बोर्ड का अध्यक्ष कंपनी की प्रत्येक सामान्य बैठक के अध्यक्ष के रुप मे उसकी अध्यक्षता करेगा।

अनुच्छेद 44 यदि अध्यक्ष बैठक के निर्धारित समय के बाद पंद्रह मिनट के भीतर उपस्थित नही होता तो उपस्थित निदेशक बैठक का अध्यक्ष होने के लिए अपने सदस्यो मे से किसी एक का चुनाव करेंगे।

अनुच्छेद 45 1- अध्यक्ष किसी भी बैठक के उपस्थित कोरम की सहमति से यदि बैठक द्वारा निर्देश दिए जाए समयसमय पर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठक स्थगित कर सकते है।

2. किसी स्थगित बैठक मे जिस बैठक का स्थगन हुआ था उसमे अधूरे बचे कामकाज के अलावा और कोई काम काज नही किया जाएगा।

3. जब कोई बैठक तीस दिनों या इससे अधिक दिनोंके लिए स्थगित की जाती है तब स्थगित बैठक की सूचना उसी प्रकार दी जाएगी जिस प्रकार वह मूल बैठक के लिए दी जाती है।

4. पूर्वोक्त बाते को छोडकर यहय आवश्यक नही होगा कि स्थगन या स्थगित बैठक मे किए जानेवाले कामकाज की कोई सूचना दी जाए।

अनुच्छेद 46 चाहे मतदान हाथ उठाकर अथवा मतपत्रों से किया गया हो उसमे मतों के बराबर होने के मामले मे जिस बैठक मे मतदान हाथ उठाकर किया गया हो अथवा जिसमे मतपत्रों से मतदान करने की मॉग की गई हो उसके अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 47 जिस काम काज के संबंध मे मतदान की मॉग की गई हो उसको छोडकर कोई अन्य काम काज उसका मतदान होने तक आरंभ किया जा सकता है।

सदस्योँ का वोट
अनुच्छेद 48 क. व्यक्तिगत रुप से उपस्थित प्रत्येक सदस्य को हाथ उठाकर मतदान करने के लिए एक मत प्राप्त होगा और

ख. मतपत्र से मतदान करने के लिए सदस्यो के मत देने के अधिकार अधिनियम की धारा ८७ मे निर्धारित किए गये अनुसार होंगे।

अनुच्छेद 49 संयुक्त धारियों के मामले मे जो वरिठ धारी चाहे व्यक्तिगत रुप से या प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) द्वारा मत देता है उसके मत को स्वीकार किया जाएगा और अन्य संयुक्त धारियों के मतों को स्वीकार नही किया जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए वरिठता का निर्धारण उस कम से किया जाएगा जिसमे सदस्यों के रजिस्टर मे उनके नाम आए हो।

अनुच्छेद 50 विकृत चित्त का सदस्य अथवा पागलपन का न्यायाधिकार रखनेवाले किसी न्यायालय द्वारा जिस सदस्य के बारे मे आदेश दिया गया हो, वह हाथ उठाकर या मतपत्र से किए जानेवाले मतदान मे अपने सुपुर्ददार (कमेटी) अथवा अन्य कानूनी अभिभावक द्वारा मतदान कर सकता है और ऐसा कोई भी सुपुर्ददार अथवा अभिभावक मतदान मे प्रतिपत्री के रुप मे मतदान कर सकता है।

Article 43.- The Chairman of the Board shall preside as chairman at every general meeting of the Company.

Article 44.- If the Chairman is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the Directors present shall elect one of their members to be Chairman of the Meeting.

Article 45.- (1) The Chairman may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place.

(2) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

(3) When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.

(4) Save as a aforesaid, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.

Article 46.- In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting at which the show of hands takes place, or at which the poll is demanded, shall be entitled to a second or casting vote.

Article 47.- Any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with pending the taking of the poll.

VOTE OF MEMBERS

Article 48.-(a) On a show of hands, every member present in person shall have one vote; and

(b) on a poll, the voting rights of members shall be as laid down in section 87 of the Act.

Article 49. – In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders.

For this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of members.

Article 50.- A member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or other legal guardian, and any such committee or guardian may, on a poll, vote by proxy.

अनुच्छेद 51 किसी भी सदस्य को सामान्य सभा मे तब तक मत देने का हक नही होगा जब तक कंपनी के शेयरों के लिए उसके फिलहाल देय सारी मॉगो अथवा अन्य राशियो की अदायगी न कर दी गई हो।

अनुच्छेद 52 1. जिस बैठक या जिस स्थगित बैठक मे आपत्ती उठाया गया, मत दिया गया या डाला गया है उसको छोडकर किसी बैठक मे किसी मतदाता की अर्हता के बारे मे कोई आपत्ती नही उठाई जाएगी और ऐसी बैठक मे अमान्य न ठहराया गया प्रत्येक मत सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य होगा।

2. इस प्रकार की कोई आपत्ती उचित समय मे किए जाने पर उसके बारे मे बैठक के अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम तथा निर्णायक होगा।

अनुच्छेद 53 प्रतिपत्री की नियुक्ति करनेवाली/करनेवाला लिखत और मुख्तारनामा, अथवा यदि कोई ऐसा अन्य अधिकार हो जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किए गए हो उसकी अथवा ऐसी शक्ति अथवा अधिकार की नोटरी द्वारा प्रमाणित की गई प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय मे उस बैठक अथवा स्थगित बैठक के बुलाये जाने के कम से कम ४८ घंटे पहले जमा की जाएगी जिसमे लिख तमे नामित व्यक्ति मे मत देने का प्रस्ताव किया हो अथवा वह मतपत्र से मतदान होने के मामले मे मतदान किए जाने के कम से कम २४ घंटे पहले जमा की जाएगी और इसमे चूक होने पर प्रतिपत्री की लिखत विधिमान्य नही समझी जाएगी।

अनुच्छेद 54 किसी प्रतिपत्री की नियुक्ति करनेवाली लिखत या तो अधिनियम की अनूसूची के फार्मो मे अथवा उस फार्म के उतने करीब होगी जितनी परिस्थितीयों मे ग्राहय हो।

अनुच्छेद 55 क. जब तक राष्टपति कंपनी के शेयर धारी है तब तक वे समय समय पर एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को (जिसका/जिनका कंपनी का/के सदस्य होना जरुरी नही है।) कंपनी की सभी बैठको मे या किसी बैठक मे अपना प्रतिनिधीत्व करने के लिए नियुक्त कर सकते है।

ख. इस अनुच्छेद के उपखंड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्तियों मे से केवल एक ही व्यक्ति कंपनी की सभी बैठको या किसी भी बैठक मे राष्ट्रपति का प्रतिनिधीत्व करने का हकदार होगा।

ग. राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के उपखंड (क) के अधीन की गई किसी नियुक्ति को समय समय पर रदद् कर सकते है और नई नियुक्ति कर सकते है।

घ. बैठक मे राष्ट्रपति के आदेश का प्रस्तुत किया जाना कंपनी द्वारा भारत मे संविधान मे उपबंधित किए गए अनुसार ऐसा साक्ष स्वीकार किया जाएगा जो पूर्वोक्त ऐसी किसी नियुक्ति या उसके रदद् किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य होगा।

ड. इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को यदि ऐसे आदेश से प्रतिपत्री नियुक्त करने का चाहे विशेष रुप से या सामान्यतः प्राधिकार दिया गया हो, तो वह प्रतिपत्री नियुक्त कर सकता है।

अनुच्छेद 56 प्रतिपत्री की लिखत की शर्तो के अनुसार दिया गया मत इस बात के होते हुए भी मान्य होगा कि मूल सदस्य को पहले मृत्यू हो गई है अथवा वह पागल हो गया है अथवा प्रतिपत्री अथवा उस अधिकार को प्रतिसंहत कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिपत्र निष्पादित किया गया था अथवा उन शेयरों का हस्तांतरण हो गया है जिनके लिए प्रतिपत्री मत दिया गया है।

Article 51.- No member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the company have been paid.

Article 52.- (1) No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes.

(2) Any such objection made in due time shall be referred to the Chairman of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.

Article 53.- The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notorially certified copy of that power or authority, shall be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of poll, not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.

Article 54.- An instrument appointing a proxy shall be in either of the forms in Schedule IX to the Act or a form as near thereto as circumstances admit.

Article 55.- (a) The President, so long as he is a shareholder of the Company may from time to time, appoint one or more persons (who need not be a member or members of the Company) to represent him at all or any meetings of the Company.

(b) Only one of the persons appointed under sub-clause (a) of this Article shall be entitled to represent the President at all or any meetings of the Company.

(c) The President may, from time to time cancel any appointment made under sub-clause(a) of the Article and make fresh appointment.

(d) The production at the meeting of an order of the President evidence as provided in the Constitution of India shall be accepted by the Company as sufficient evidence of any such appointment or cancellation as aforesaid.

(e) Any person appointed by the President under the Article may, if so authorized by such order, appoint a proxy, whether specially or generally.

Article 56.- A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid, notwithstanding the previous death or insanity of the principal or the revocation of the Proxy or of the authority under which the proxy was executed, or the transfer of the shares in respect to which the proxy is given:

यह उपबंध है कि ऐसी मृत्य, पागलपन, प्रतिसंहरण अथवा हस्तांतरण की सूचना लिखित रुप मे कंपनी को उसके कार्यालय मे उस बैठक अथवा उस स्थगित बैठक के प्रारंभ होने के पहले प्राप्त न हुई हो जिसमे प्रतिपत्री मत का उपयोग किया गया है।

***अनुच्छेद 57 निदेशक मंडल मे एक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक यह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (जहा पद एक ही एवं उसी व्यक्ति द्वारा धारण किया गया हो) एक कार्यापालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/कार्यपालक निदेशक (परिचालन/ वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक एवं तीन से कम नही ओर तेरह से अधिक निदेशक से अधिक नही निदेशक होगे।

अनुच्छेद 58 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह

क. निगम का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा

ख. ऐसे अधिकारों का उपयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्य निभायेगा जो उसे अधिनियम और इस अंतरनियमावली द्वारा सौपी गई हो/ सौपे गए हो अथवा जो राष्ट्रपति और/ अथवा निदेशक बोर्ड द्वारा समय समय पर उसे सौपी/सौपे अथवा प्रदत्त की/किए जाऐ।

ग. अपने पद पर ऐसी अवधि तक रहेगा जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाए ओर

घ. ऐसा वेतन ओर भत्ते प्राप्त करेगा जिन्हे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए।

अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक को उसके पद से हटा सकते है और उसके स्थान पर दूसरे को नियुक्त कर सकते है।

अनुच्छेद 60 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक अपने पद से किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके और अपनी लिखावट मे लिखकर त्यागपत्र दे सकता है।

अनुच्छेद 61 यदि राष्ट्रपति की राय मे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक अशक्तता के कारण अथवा अन्यथा अपने कर्तव्यो का पालन करने मे असमर्थ हो गया हो अथवा छुटट्री पर रहने के कारण या अन्यथा ऐसी परिस्थितीयो मे अनुपस्थित हो जिनमे उसका अपनी नियुक्ति को रिक्त करना निश्चित न हो तो राष्ट्रपति उसकी अनुपस्थिती मे अन्य व्यक्ति को उसके बदले मे कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते है।

अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति, प्रबंध निदेशक अथवा किसी अन्य निदेशक को कपंनी के अध्यक्ष के रुप मे कार्य करनेके लिए नियुक्त कर सकते है।

***अनुच्छेद 63 अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक (पॉलीसी मामले)/कार्यपालक निदेशक (परिचालन) और अनरू निदेशको को राष्ट्रपति द्वारा जब भी उपयुक्त समझे नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, यह अध्यक सह प्रबध निदेशक (जहाू पद एक ही एवं उसी व्यक्ति द्वारा धारण किया गया हो। एवं कार्यपालक निदेशक (को) को राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन एवं/अथवा भत्ते देय होंगे। सरकारी निदेशको के अलावा

Provided that no intimation in writing of such death, insanity revocation or transfer shall have been received by the Company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.

BOARD OF DIRECTORS

***Article 57.- The Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director/Executive Director (Policy Matters)/Executive Director(Operations)/Senior most Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors.

Article 58.- The Chairman-cum-Managing Director or the Managing Director shall be appointed by the President and shall:-

(a) be the Principal executive officer of the Corporation;

(b) exercise such powers and discharge such duties as are assigned to him by the Act and these Articles of Association or as may from time to time be entrusted to or be conferred on him by the President and/or by the Board of Directors.

(c) hold office for such period as may be fixed by the President **,**and

(d) receive such salary and allowances as the President may determine.

Article 59.- The President may at any time remove the Chairman-cum-Managing Director or the Managing Director from office and appoint another in his place.

Article 60.- The Chairman-cum-Managing Director or the Managing Director may resign his office at any time by writing under his own hand addressed to the President.

Article 61.- If, in the opinion of the President, the Chairman-cum-Managing Director or the Managing Director is, by infirmity or otherwise, rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise, in circumstance not involving the vacation of his appointment, the President may appoint another person to act in his place during his absence.

Article 62.-The President may appoint the Managing Director or any other Director to act as Chairman of the Company.

***Article 63.- The Chairman, Executive Director/Executive Director (Policy Matters)/Executive Director(Operations)/Senior most executive Director and other Directors shall be appointed by the President for such time as he may deem fit. The Chairman, Managing Director or Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), and Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/Executive Director(Operations)/Senior most executive Director so appointed

अन्य निदेशक अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएगे। बशर्ते कि कंपनी के बोर्ड पर नियुक्ति यथासंभव निम्नलिखित पेटर्न के अनुरुप हो।

श्रेणी	**स्थानों की संख्या**
i) सरकारी निदेशक	2
क) वाणिज्य मंत्रालय	
ख) वित्त मंत्रालय	
ii) भारतीय रिजर्व बैंक	1
iii) एक्जिम बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1
iv) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सरकार द्वारा मनोनीत	2
v) भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1
vi) फियो के अध्यक्ष	1
vii) किसी भी ईपीसी के अध्यक्ष	1
viii) सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले निर्यात से जुड़े गैर-सरकारी सदस्य	4

बशर्ते यह भी कि कंपनी मे कर्मचारी होने के कारण यदि किसी व्यक्ति को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया है एव निदेशक पद की अवधि के दौरान वह त्यागपत्र, सेवानिवृत्ती या अन्य कारण, यह कंपनी से बाहर किसी अन्य पद पर स्थानांतरण होने के कारण कंपनी में नियोजन समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से जिससे उसका कंपनी मे नियोजन समाप्त हुआ है या स्थानांतरण हुआ है से निदेशक पद भी समाप्त हो जाएगा।

राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर अध्यक्ष या किसी भी निदेशक को कार्यालय से हटाया जा सकता है और इस तरह के निष्कासन की स्थिती मे अथवा त्यागपत्र मृत्यू या अन्यथा के कारण कार्यालय मे किसी भी रिक्ति की स्थिती मे रिक्त पद पर नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का होगा।

अनुच्छेद 64 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक का, यथास्थिती, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक के अपने पद पर बने रहना समाप्त होने पर वह सेवानिवृत्त हो जाएगा।

shall receive such salary and/or allowances as the President may determine from time to time. The Directors other than Government Directors shall be appointed by the President

in consultation with the Chairman. Provided that the appointment of directors on the Company's Board shall as far as possible conform to the following pattern:

Category	**No. of Position**
i) Govt.Directors	2
a) Ministry of Commerce	
b) Ministry of Finance	
ii) Reserve Bank of India	1
iii) Chairman/Managing Director/Chairman and Managing Director of EXIM Bank	1
iv) Chairman/ Managing Director/Chairman and Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government	2
v) Chairman/Managing Director/Chairman and Managing Director of General Insurance Corporation of India	1
vi) President of FIEO	1
vii) Chairman of any of the EPCs	1
viii) Non-officials connected with the exports to be nominated by the Government	4

Provided further that where a person being an employee of the Company has been appointed as a Director of the Company and during the term of his office as Director, ceases to be an employee of the Company by reason of resignation, retirement or otherwise, or is transferred to a post outside the Company, he shall cease to be such Director from the date on which he ceases to be an employee of the Company or as the case may be, from the date of his transfer.

The President may from time to time remove the Chairman or any Director from office and in the event of such removal or in the event of any vacancy in the said office caused by resignation, death or otherwise, the President shall be entitled to appoint another in the Vacancy.

Article 64.-The Chairman-cum Managing Director or the Managing Director shall retire on his ceasing to hold the office of the Chairman-cum-Managing Director or the Managing Director as the case may be.

अनुच्छेद 65 1. निदेशको के परिश्रमिक मे जहॉ तक मासिक अदायगी शामिल है वहॉ तक उसका प्रतिदिन प्रोदभूत होना माना जाएगा।

2. अधिनियम के अनुसरण मे निदेशको को देय पारिश्रमिक के अतिरीक्त उन्हे ऐसे सभी यात्रा व्यय, होटल व्यय और अन्य व्यय अदा किए जा सकते है जो उनके द्वारा

क. निगम के निदेशक बोर्ड अथवा उसकी किसी समिती की बैठक अथवा निरस्त की सामान्य बैठको मे उपस्थित होने और उनसे लौटने के लिए अथवा

ख. निगम के काम काज के संबंध मे

अनुच्छेद 66 निदेशको का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। किसी एक निदेशक अथवा एक से अधिक निदेशको को उसके/उनके द्वारा कि गई अतिरीक्त अथवा विशेष सेवा के लिए ऐसा उचित अतिरीक्त पारिश्रमिक अदा किया जा सकता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए।

अनुच्छेद 67 अध्यक्ष, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक प्रबध निदेशक और अन्य निदेशको से कोई अर्हता शेयर धारण करे की अपेक्षा नही की जाएगी।

निदेशकों के अधिकार और कर्तव्य

अनुच्छेद 68 निगम के काम काज का प्रबंध उसके उन निदेशको द्वारा किया जायेगा जो निगम को पंजीकृत कराने मे किए गये सारे व्ययो की अदायगी कर सकते है और जो निगम के ऐसे सभी अधिकारो का प्रयोग कर सकते है जिनका अधिनियम द्वारा अथवा उसके फिलहाल लागू किसी संविधिक संशोधन द्वारा अथवा इन अनुच्छेदों द्वारा उपयोग किए जाने की अपेक्षा सामान्य बैठक मे न की गई हो तथापि शर्त यह है कि इन अनुच्छेदो का कोई भी विनियम उक्त अधिनियम के उपबंधे और विनियमों के अधीन होगा तथा वह उन पूर्वोक्त निनियमों अथवा उपबंधो के प्रतिकूल नही होगा जो निगम द्वारा सामान्य बैठक मे निर्धारित किए गये हो परंतू निगम द्वारा सामान्य बैठक मे बनाया गया कोई भी विनियम निदेशको की पहले की किसी ऐसी कार्रवाई को अमान्य ठहरायेगा जो उस स्थिती मे मान्य होगी, जब उक्त विनियम न बनाए गए होते।

अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति एक केंन्द्रीय सलाहकार परिषद और किसी अन्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर सकते है और उसके कार्य निर्धारित कर सकते है।

अनुच्छेद 70 निदेशक बोर्ड महाप्रबंधक (को अथवा प्रबंधको अथवा वित्तीय सलाहकारों और मुख्य लेखा अधिकारीयों को ऐसी बातो और ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त कर सकता है जिन्हे वह ठीक समझे और वह समय समय पर उसे अथवा उन्हे उनके पद से हटा सकता है तथा उसके या उने स्थान या स्थानों पर दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

अनुच्छेद 71 निदेशक बोर्ड निगम के काम काज को आम तौर पर चलाने और निनियमित करने तथा विशेष रुप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में ऐसी उपविधियॉ बना सकता है जो न तो बर्हिनियमावली में निर्धारित नियम और न ही इन अनुच्छेदों के प्रतिकूल हों।

क. निगम के अधिकारीयों कर्मचारियों और एजेंटो के कर्तव्य और उनके आचरण

Article 65.(1) The remuneration of the Directors shall in so far as it consists of a monthly payment be deemed to accrue from day to day.

(2) In addition to the remuneration payable to them in pursuance of the Act, the Directors may be paid all traveling, hotel and other expenses properly incurred by them;-

(a) In attending and returning from meetings of the Board of Directors or any Committee thereof or general meeting of the Corporation; or

(b) In connection with the business of the Corporation.

Article 66.- The remuneration of the Directors shall, from time to time be determined by the President. Such reasonable additional remunerations as may be fixed by the President may be paid to anyone or more of the Directors for extra or special service rendered by him or them.

Article 67.-The Chairman, the Chairman-cum-Managing Director, the Managing Director, and other Directors shall not be required to hold any qualification shares.

POWERS AND DUTIES OF THE DIRECTORS

Article 68.-The business of the Corporation shall be managed by the Directors who may pay all expenses incurred in getting the Corporation registered and may exercise all such powers of the Corporation as are not by the Act, or any statutory modification thereof for the time being in force, or by these Articles, required to be exercised by the Corporation in general meeting, subject nevertheless to any regulation of these Articles, to the provision of the said Act, and to such regulation, being not inconsistent with the aforesaid regulations or provisions, as may be prescribed by the Corporation in the General Meeting but no regulation made by the Corporation in general meeting shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if that regulations had not been made.

Article 69.- The President may set up a Central Advisory Council and other Advisory Board and determine their functions.

Article 70.- The Board of Directors may appoint General Manager(s) or Managers or Financial Advisers and Chief Accounts Officers for such term and at such remuneration as they may think fit and from time to time remove him or them from office and appoint another or others in his or their place or places.

Article 71.- The Board of Directors may make bye-laws not inconsistent with the objects of the Corporation as set out in the Memorandum of Association nor with these Articles for the conduct and regulation of the business of the Corporation generally and in respect of the following matters particularly,

(a) The duties and conduct of officers, employees and agents of the Corporation.

ख. सलाहकार परिषद को निर्देश देने के लिए भेजे जानेवाले मामले, सलाहकार परिषद की बैठके बुलाना और सामान्यतः सलाहकार परिषद से संबंधित मामले।

अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति समय समय पर निम्नलिखित बातो का निर्धारण कर सकते है।

क. निगम के साथ की जानेवाली बीमे की संविदाओं के अंतर्गत जिन जोखिमो के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी उनका स्वरुपः

ख. निगम द्वारा किस समय जिस अधिकतम सीमा तक का जोखिम उठाया जा सकता है उसका

ग. ऐसी न्यूनतम सीमाए जिनसे कम की निगम द्वारा जारी की गई पॉलिसियॉ पर वह प्रीमियम नही लेनाः

अनुच्छेद 73 निदेशक बोर्ड की

क. ऋण और संविदाओ की जिन अधिकतम सीमाओ तक किसी व्यक्तिगत खरीदार से संबंधित जोखिम के लिए सुरक्षा प्रदान की जा सकती है उन्हे निर्धारित करने

ख. निर्यातक द्वारा खरीदारों को जिन सीमाओ तक, निगम द्वारा उनका अनुमोदन किए बिना माल निर्यात किया जा सकता है उन्हे निर्धारित करने का अधिकार होगा।

ग. एक निर्यातक के साथ एक अनुबंध दर्जा करने के लिए एक सीमा तय करना ।

यदि इन सीमाओं का जोड राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं से अधिक हो तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

बोर्ड की कार्रवाई

अनुच्छेद 74 1. निदेशक बोर्ड काम काज निपटाने के लिए कम से कम तीन कैलेंडर महिनो मे एक बार अपनी बैठक करेगा और वह अपनी बैठके इस प्रकार स्थगित अथवा अन्यथा निनियमित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।

2. किसी निदेशक की मॉग पर कोई निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में महाप्रबंधक अथवा सचिव किसी भी समय बोर्ड की बैठक बुला सकता है।

अनुच्छेद 75 यदि किसी बैठक के आयोजित करने के निर्धारित समय के बाद पॉच मिनटों के भीतर अध्यक्ष उसमे उपस्थित नही होते तो उपस्थित निदेशक अपने सदस्यो में से किसी एक को बैठक का अध्यक्ष होने के लिए चुन सकते है।

अनुच्छेद 76 1. अधिनियम मे अन्यथा उपबंधित स्थिती को छोडकर, बोर्ड की किसी बैठक में उत्पन्न प्रश्नो का निर्णय बहुमत मे किया जाएगा।

2. मतों के बराबर होने के मामले में बोर्ड के अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

(b) The matters to be referred to the Advisory Council, the calling of meeting of Advisory Council and generally all matters relating to the Advisory Council.

Article 72.- The President may, from time to time, determine:-

(a)The nature of risks that will be covered under contracts of insurance with the Corporation;

(b)The maximum limit up to which risks can be carried by the Corporation at any time;

(c)The minimum limits below which the Corporation will not charge premiums on the policies issued by it.

Article 73.- The Board of Directors shall have the power to:
(a) Fix maximum credit and contract limit up to which risk on any individual buyer can be covered;

(b) Fix limits up to which goods can be exported by an exporter to buyers without their limit being approved by the Corporation;

(c) Fix a limit up to which a contract can be entered into with an exporter;

If the total of these limits exceed the limit fixed by the President, previous sanction of the President shall be necessary.

PROCEEDINGS OF THE BOARD

Article 74.- (1) The Board of Directors shall meet for the dispatch of business at least once in every three calendar months and may adjourn and otherwise regulate its meetings, as it think fit.

(2) A Director may, and the Chairman-cum-Managing-Director or the Managing Director or in his absence the General Manager or the Secretary on the requisition of a Director shall, at anytime summon a meeting of the Board.

Article 75.-If at any meeting the Chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the directors present may choose one of their members to be Chairman of the meeting.

Article 76.- (1) Save as otherwise provided in the Act, questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.

(2) In case of equality of votes the Chairman of the Board shall have Second or Casting vote.

अनुच्छेद 77 बोर्ड में कोई रिक्त स्थान होने के बावजूद अविरामी (कंटीन्यईंग) निदेशक कार्य कर सकते है बशर्ते और जब तक उनकी संख्या अधिनियम में बोर्ड की बैठक के लिए निर्धारित गणपूर्ती की संख्या से घटकर कम रह जाती है तब तक अदिरामी निदेशक कंपनी की सामान्य बैठक बुलाने के प्रयोजन के लिए कार्य कर सकते है, परंतू वे अन्य प्रयोजनों के लिए कार्य नही कर सकते।

अनुच्छेद 78 1. बोर्ड अधिनियम के उपबंधो के अधीन ऐसी समितीयॉ को अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है जिसमे बोर्ड के गठन के उतने सदस्य शामिल हो जिन्हे वह उचित समझे।

2. इस प्रकार बनाई गई कोई भी समिती इस प्रकार प्रत्यायोजित किए गए अधिकारें का प्रयोग करते समय किन्ही भी ऐसी विनियमो का पालन करेंगी जो बोर्ड द्वारा उस पर लगाये जाऐ।

अनुच्छेद 79 1. निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष सभी समितीयों के पदेन अध्यक्ष होंगे। (सिवाय बोर्ड की लेखा परिक्षण समिती के मामले में और जब भी निगम के प्रबंधक निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष होगे)

2. यदि अध्यक्ष किसी बैठक को आयोजित करने के लिए निर्धारित समय के बाद पॉच मिनट के भीतर उसमे उपस्थित नही होते तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को बैठक का अध्यक्ष होने के लिए चुक सकते है।

अनुच्छेद 80 बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ती उसकी कुल संख्या की एक तिहाई (इस तिहाई मे आनेवाले किसी अपूर्णाक को एक में पूर्णाकित कर दिया जाएगा) अथवा दो निदेशको में से जो द्वीी अधिक हो वह होगी।

अनुच्छेद 81 1. कोई समिती जब उचित समझे तब अपनी बैठक बुला सकती है या उसे स्थगित कर सकती है।

2. समिती की किसी बैठक में उत्पन्न प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के किया जाएगा और उनके मत बराबर होने के मामले में अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 82 बोर्ड की अथवा उसकी समिती की किसी बैठक में अथवा निदेशक के रुप में कार्य करते हूए किसी व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई, इसका बाद मे पता चलने के बावजूद कि, निदेशकों में से किसी एक निदेशक या एक से अधिक निदेशकों अथवा पूर्वोक्त रुप मे कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कुछ दोष था अथवा वे अथवा उनमे से कोई एक अयोग्य ठहराये गए थे, उसी प्रकार विधिमान्य होगी मानों कि ऐसा प्रत्येक निदेशक अथवा ऐसा व्यक्ति, यथाविधी, नियुक्त किया गया था और निदेशक होने के लिए योग्यता प्राप्त थाः

यह उपबंध है कि कंपनी की निदेशक या निदेशकों की नियुक्तियों का अमान्य अथवा समाप्त हो जाना दर्शा दिए आने के बाद इस अनुच्छेद की किसी भी बात से यह नही माना जाएगा कि उसके अथवा उनके द्वारा किए गए कार्यो को मान्यता है।

Article 77.- The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the Board, but, if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the Act for a meeting of the Board, the continuing Directors or Director may act for the purpose of summoning a general meeting of the Company, but for no other purposes.

Article 78.- (1) The Board may, subject to the provisions of the Act, delegate any of its powers to Committees consisting of such members of its body as it thinks fit.

(2) Any Committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board.

“Article 79.- (1) The chairman of the Board of Directors shall be ex-officio Chairman of all committees [save and except in the case of an Audit Committee of the Board and when the Chairman of the Board also happens to be the Managing Director of the Corporation]"

(2) If at any meeting, the Chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present may choose one of their members to be Chairman of the meeting.

Article 80.- The quorum for meeting of the Board shall be one third of total strength (any fraction contained in one third being rounded off as one) or two Directors, whichever is higher.

Article 81.- (1) A Committee may meet and adjourn as it thinks proper.

(2) Questions arising at any meeting of a Committee shall be determined by a majority of votes of the members present, and in case of equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.

Article 82.- All acts done by any meeting of the Board or of a Committee thereof or by any person acting as Director, shall notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such Directors or of any persons acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such Director or such person had been duly appointed and was qualified to be a Director;-

Provided that nothing in this Article shall be deemed to give validity to acts done by the Director or Directors after the appointments have been shown to the Company to be invalid or to have terminated.

अनुच्छेद 83 अधिनियम में स्पष्टतः अन्यथा उपबंधित स्थिती को छोडकर बोर्ड या उसकी समिती द्वारा कोई संकल्प घुमाकर पारित किया जा सकता है बशर्ते संकल्प का प्रारुप, यदि कोई आवश्यक कागजात हो तो उनके साथ, भारत मे तत्समय रहनेवाले बोर्ड के सभी निदेशकों अथवा समिती के सदस्यों (जिनकी संख्या, यथास्थिती, बोर्ड या समिति की बैठको के लिए निर्धारित गणपूर्ती की संख्यासे कम न हो) और अन्य सभी निदेशकों या सदस्यों के बीच भारत के उनके सामान्य पतों पर घुमा दिया गया हो और इस प्रकार पारित संकल्प उसी प्रकार मान्य और प्रभावकारी होगा मानों कि वह बोर्ड अथवा समिति की यथाविधि बुलाई गई और आयोजित बैठक में पारित किया गया हो।

***अनुच्छेद 84 बोर्ड या समिति की बैठक के लिए कोरम, जब तक समिति के संदर्भ शर्तो में निर्दिष्टित न हो, कुल पदों की दो तिहाई (एक तिहाई में किसी भी अपूर्णांक को एक माना जाएगा) अथवा दो निदेशक जो भी अधिक हो, होगी तथा वीडियो कॉन्फ्रेसिग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से प्रतिभागिता को द्वारा कोरम के उददे्श के लिए गणना में शामिल किया जाएगा।

अनुच्छेद 85 अध्यक्ष निम्नलिखित मामलों में से किसी के भी संबंध में निदेशकों के किन्ही प्रस्तावों अथवा निर्णयों को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित रखेंगे, अर्थात

क. निगम की निर्गमित पूंजी को बढाना या घटाना

ख किसी एक खास व्यापरिक संस्था को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक की राशि के ऋण अथवा गारंटी का दिया जाना अथवा निगम द्वारा किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता का प्रदान किया जाना

ग. निगम का समापन

घ. कोई अन्य ऐसा मामला जो अध्यक्ष की राय मे इतने महत्व का हो कि उसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित रख जाए।

पूर्वोक्त प्रकार से राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गये निदेशकों के किसी प्रस्ताव अथवा निर्णय पर निगम द्वारा तब तक कोई कार्रवाई नही की जाएगी जब तक उस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त न कर लिखा गया हो।

अनुच्छेद 86 इन अनुच्छेदो में दी गई किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति समय समय पर ऐसे निर्देश या अनुदेश जारी कर सकते है जिन्हे वे कंपनी के वित और काम काज तथा कार्यो के संचालन के लिए ठीक समझे और निदेशक ऐसे निर्देशों अथवा अनुदेशों का यथाविधि पालन करेंगे और उन्हें लागू करेंगे।

यह उपबंध है कि राष्टपति द्वारा जारी किए गये सभी निर्देश लिखित रुप में अध्यक्ष को संबोधित किए जाएंगे। जब राष्टपति यह समझें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए अन्यथा अपेक्षित हो तब इस स्थिती को छोडकर बोर्ड राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निदेशों की विषय वस्तु को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सामिल करेगा और कंपनी की वित्तीय स्थिती पर उसके प्रभाव का भी उल्लेख करेगा।

Article 83.- Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution may be passed by the Board or by a Committee thereof by circulation provided the resolution has been circulated in draft, together with the necessary papers if any, to all the Directors, or to all the members of the Committee, then in India (not being less in number than the quorum fixed for a meeting of Board or Committee, as the case may be), and to all other Directors or members at their usual addresses in India, and has been approved by such of the Directors as are then in India, or by a majority of such of them, as are entitled to vote on the resolution, and the resolution so passed shall be valid and effectual as if it had been passed at a meeting of Board or Committee duly convened and held.

***Article 84.- The quorum for meeting of the Board or committees, unless specified otherwise in the terms of reference of the committee, shall be one third of total strength (any fraction contained in one third being rounded off as one) or two Directors, whichever is higher and participation of the Directors through video conferencing or by other audio visual means shall be counted for the purpose of quorum.

Article 85.- The Chairman shall reserve for the approval of the President any proposals or decision of the Directors in respect of any of the following matters, namely;

(a) Increasing or reducing the issued capital of the Corporation;

(b) Granting by the Corporation of a loan or giving of a guarantee or any other financial assistance to any one particular concern of an amount exceeding the limits prescribed by the President;

(c) Winding up of the Corporation;

(d) Any other matter which in the opinion of the Chairman be of such importance as to be reserved for the approval of the President.

No action shall be taken by the Corporation in respect of any proposal or decision of the Directors reserved for the approval of the President as aforesaid until his approval to the same has been obtained.

Article 86.- Notwithstanding anything contained in any of these Articles the President may, from time to time, issue such directives or instructions as he may deem fit in regard to the finances and the conduct of the business and affairs of the Company and the Directors shall duly comply with and give effect to such directives or instructions.

Provided that all directives issued by the President shall be in writing, addressed to the Chairman. The Board shall except where the President considers that the interest of national security requires otherwise incorporate the contents of the directives issued by the President in the annual report of the Company and also indicate its impact on the financial position of the Company.

उधार लेने के अधिकार

अनुच्छेद 87 निदेशक निगम के प्रयोजन के लिए अपने विवेक से समय समय पर जमा राशियॉ स्वीकार कर सकते है किसी राशि या किन्ही राशियों को जुटा या उधार ले सकते है अथवा उसकी/उनकी अदायगी सुरक्षित कर सकते है।

यह उपबंध है कि इस प्रकार उधार ली गई राशि की कुल राशि निगम की चुकता पूॅजी के पॉच गुने से अधिक न हो।

अनुच्छेद 88 निदेशक ऐसी राशि या राशियों को ऐसे तरीके से और सभी दृष्टियों से ऐसी शर्तो पर जुटा सकते है या उसकी या उनकी अदायगी अथवा चुकौति सुरक्षित कर सकते है जिसे ओर जिन्हे वे ठीक समझे तथा विशेष रुप से ऐसा निगम द्वारा फिलहाल अपनी अनमांगी (अनकॉल्ड) पूॅजी सहित अपनी भावी और वर्तमान दोनों समयों की संपत्ती या उसके किसी भाग पर प्रभारित डिबेंचर अथवा डिबेंचर स्टॉको के निर्गम से किया जा सकता है।

अनुच्छेद 89 डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियॉ जिन व्यक्तियों को जारी किये गए/की गई है उनके और कंपनी के बीच होनेवाली किन्ही असमानताओं से मुक्त होकर, समनुदेशन योग्य बनाये जाए/बनाई जाए।

अनुच्छेद 90 कोई भी डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियॉ विमोचन, समर्पण अथवा आहरणों से संबंधित किन्ही खास विशेषाधिकारों सहित बटटे् (डिस्काउंट) या प्रीमियम पर या अन्यथा जारी किए जा सकते है/जा सकती है।

मुद्रा

अनुच्छेद 91 1. बोर्ड मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा।

2. कंपनी की मुद्रा किसी लिखत पर नही लगाई जाएगी सिवाय इसके कि जब भी उसे लगाने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी समिति के संकल्प से और जब यह कम से कम दो निदेशको अथवा सचिव अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिती में लगाई जानी हो जिन्हे निदेशक इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे और ऐसे दो निदेशक और सचिव अथवा पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति ऐसी प्रत्येक लिखत पर अपने हस्ताक्षर करेंगे जिस पर उनकी उपस्थिती में कंपनी की मुद्रा उक्त प्रकार से लगाई गई हो।

लेखे

अनुच्छेद 92 1. बोर्ड समय समय पर यह निर्धारित करेगा कि जो सदस्य निदेशक नही है क्या उनके निरीक्षण के लिए कंपनी के लेखे और बहियों अथवा उनमें से कोई एक खुले रखे जाएंगे/खुली रखी जाएंगी और वे/वह किस सीमा तक और किस समय और किन स्थानों पर तथा किन शर्तो और विनियमों के अधीन खुले रखे जाएंगे/खुली रखी जाएंगी।

2. किसी भी सदस्य (जो निदेशक नही है) को कंपनी के किसी लेखा या वही या प्रलेख का निरीक्षण करने का कोई अधिकार नही होगा, सिवाय असके कि जब असे ऐसा करने का अधिकार विधी द्वारा दिया गया हो अथवा जब उसे बोर्ड द्वारा अथवा कंपनी की सामान्य बैठक द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

BORROWING POWERS

Article 87.- The Directors may, from time to time, at their discretion accept deposits, raise or borrow or secure payments of any sum or sums of money for the purpose of the Corporation;

Provided that total amount of money so borrowed will not exceed five times the paid up capital of the Corporation.

Article 88.- The Directors may raise or secure the payment or repayment of such sum or sums in such manner and upon such terms and conditions in all respect as they think fit and in particular by issue of debentures or debenture-stock of the Corporation charged upon all or any part of the property of the Corporation both present and future, including its uncalled capital for the time being.

Article 89.- The debentures, debenture-stock and other securities may be made assignable free from any equities between the Company and the persons to whom the same may be issued.

Article 90.- Any debentures, debenture-stock, bonds or other securities may be issued at a discount, premium or otherwise and with any special privileges as to redemption, surrender and drawings.

THE SEAL

Article 91.- (1) The Board shall provide for the safe custody for the seal.

(2) The seal of the Company shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board of Directors or of a Committee of the Board authorized by it in that behalf, and except in the presence of at least two Directors and of the Secretary or such other person as the Board of Directors may appoint for the purpose, and those two Directors and the Secretary or other person aforesaid shall sign every instrument to which the seal of the Company is so affixed in their presence.

ACCOUNTS

Article 92.- (1) The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations, the accounts and books of the Company, or any of them, shall be open to the inspection of members not being Directors.

(2) No member (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the Company except as conferred by law or authorized by the Board or by the Company in general meeting.

क्षतिपूर्ती

अनुच्छेद 93 अधिनियम के उपबंधो के अधीन प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक और अन्य अधिकारी अथवा नौकर को कपंनी द्वारा ऐसी लागतों, हानियों क्षतियों ओर व्यायों की क्षतिपूर्ती की जाएगी और निदेशकों का यह कर्तव्य होगा कि वे कंपनी की निधियों में से यात्रा भत्तों सहित उनकी अदायगी करें जिसे ऐसे किसी अधिकारी ने वहन किया हो या जिनके लिए वह ऐसे निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी या नौकर के रुप मे उसके द्वारा की गई किसी संविदा किए गए किसी कार्य अथवा की गई किसी बात के कारण अथवा अपने कर्तव्यो को निभाने के लिए किसी भी प्रकार से भागीदार होता हो ओर विशेष रुप से उसके द्वारा ऐसे निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी के रुप में किसी मुकदमे चाहे वह दिवानी हो या फौजदारी की जिस किसी कार्रवाई में उसके पक्ष में निर्णय दिया गया हो या उसे बरी कर दिया गया हो उसमें बचाव करते समय अथवा अधिनियम के अधीन जिस आवेदनपत्र पर उसे न्यायालय द्वारा मुक्ति (रिलीफ)प्रदान की गई हो उसके संबंध में उसके द्वारा ली गई सभी देयताओं की क्षतिपूर्ती निदेशक कंपनी की निधियों से इस प्रकार करेंगे कि वह पूर्वगामी उपबंधो के सामान्य सिध्दांतो से सीमित न हो।

अनुच्छेद 94 अधिनियम के उपबंधो के अधीन कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक अथवा अधिकारी के कार्यो उसकी प्राप्तियॉ, लापरवाहियों अथवा चूकों, अथवा उसकी किसी प्राप्ति या अन्य काय्र में संगति के लिए शामिल होने अथवा कंपनी को उसके लिए या उसकी ओर से दिए गए किसी आदेश के अंतर्गत अर्जित किसी संपत्ती के ह कमे कोई अपर्याप्तता या कमी होने से अथवा जिन प्रतिभूतियों में अपनी कंपनी की कोई राशि निवेश की गई हो उनमे से किसी मे अपर्याप्तता या कमी होने से कंपनी हो होनेवाली किसी हानि या होनेवाले किसी व्यय या जिन व्यक्तियों के पास कोई राशियॉ प्रतिभूतियॉ या मालमत्ता जमा किया गया हो, उनके दिवालिया होने, अशोधनक्षम होने अथवा उनके अपकृत के फलस्वरुप हुई किसी हानि या क्षति अथवा जो हानि या क्षति उसकी ओर से निर्णय की कोई भूल या असावधानी किए जाने के कारण हुई हो उसके लिए अथवा किसी अन्य ऐसी हानी या ऐसे दुर्भाग्य चाहे वह कुछ भी क्यो न हो जो उसके द्वारा अपने पद के कर्तव्यो का निष्पादन करते हूए उनके संबंध में हुई हो/हुआ हो, के लिए तब तक उत्तरदायी नही होगा जब तक वह उसके द्वारा की गई अपनी लापरवाही, चूक अपने द्वारा किए गए कर्तव्यभंग या विश्वास भंग से न हुई हो/हुआ हो।

अभिदाताओ (सबस्कायबर) के नाम, पता और विवरण	प्रत्येक अभिदाता द्वारा लिए गये शेअर्स	गवाह
भारत के राष्ट्रपति (एस. रंगनाथन) सचिव वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से	२,४९,९९८	
(के वी लाल) संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय, नई दिल्ली	१	
(टी सी कपूर) विशेष कार्य अधिकारी वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय, नई दिल्ली	१	

दिनांक 30 जुलाई 1957

INDEMNITY

Article 93.- Subject to the provisions of the Act, every Director, Manager and other officer or servant of the Company shall be indemnified by the Company against and it shall be the duty of the Directors to pay out of the funds of the Company, all cost, losses, damages and expenses which any such officer or servant may incur or become liable to by reason of any contract entered into or act or thing done by him as such Director, Manager, or other officer or servant or in any way in the discharge of his duties including traveling expenses, and in particular and so as not to limit the generality of the foregoing provisions against all liabilities incurred by him as such Director, Manager, or other officer, or servant in defending any proceedings whether civil or criminal in which judgement is given in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application under the Act in which relief is granted by the Court.

Article 94.- Subject to the provisions of the Act, no Director, Manager or other officer of the Company shall be liable for the acts receipts, neglects or defaults of any other Director or officer or for joining in any receipt or other act for conformity or for any loss or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of the title to any property acquired by order of the Directors for or on behalf of the Company or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortious act of any persons with whom any moneys, securities, or effects shall be deposited or for any loss occasioned by any error of judgement or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortune whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto unless the same happens through his own negligence, default, breach of duty or breach of trust.

Names, address and description of subscribers	No. of Shares taken by each subscriber	Witness
1. President of India (S. Ranganathan) Secretary, Ministry of Commerce & Industry, New Delhi, for and on behalf of the President of India.	2,49,998	
2. (K.B.Lal) Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry, New Delhi.	1	
3. (T.C.Kapur) Officer on Special Duty Ministry of Commerce & Industry, New Delhi.	1	

Dated the 30th day of July, 1957.

* १. कंपनी का नाम २. उद्धेश्य खं डमें संशोधन के लिए दिनांक २४ जून २.०१४ को सम्पन्न सदस्यों की ९६वी वार्षिक बैठक में पारित

** प्राधिकृत पूंजी को रु. १००० करोड से बढा कर रु ५००० करोड करने के लिए दिनांक ८ जुलाई २०१३ को सम्पन्न सदस्यों की ९५वी वार्षिक सामान्य बैठक मे पारित।

*** कंपनी को 'प्राईवेट लिमिटेड' से पब्लिक लिमिटड में रुपांतरण करने के लिए ओर एसोसिएशन के कुछ अनुछेद के परिवर्तन के लिए दिसंबर ०७, २०१८ को आयोजित सदस्यों की अतिरीक्त साधारण बैठक में हटाए गए/बदल दिए गए है।

#अधिकृत पूंजी को ₹5000 करोड़ से ₹10000 करोड़ तक बढ़ाने और एसोसिएशन के लेखों के खंड 4(1) को शामिल करने के लिए 05 सितंबर, 2022 को आयोजित सदस्यों की 64वीं वार्षिक आम बैठक में पारित किया गया ।

* passed at the 56th Annual General Meeting of the Members held on June 27, 2014 for change in i) the name of the Company. ii) object clause.

** passed at 55th Annual General Meeting of the Members held on July 8, 2013 for increase in the Authorised Capital from ₹1000 Crores to ₹5000 Crores.

*** Deleted /Altered at the Extra Ordinary General Meeting of the Members held on December 07, 2018 for conversion of the Company from 'Private Limited' to 'Public Limited' and alteration of some of the Articles of the Articles of Association.

passed at the 64th Annual General Meeting of the Members held on September 05, 2022 for increase of Authorised Capital from ₹5000 crore to ₹10000 crore and for incorporation of clause 4(1) of the Articles of Association.